असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 नवम्बर, 2017

षोडश विधान सभा मंगलवार, तिथि 28 नवम्बर, 2017 ई0

अष्टम् सत्र 07 अग्रहायण, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपलोग अपना-अपना स्थान पहले ग्रहण कर लें ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई(एम0एल0) एवं राजद के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपलोग अपना-अपना स्थान पहले ग्रहण कर लीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठ जाय ।

(व्यवधान)

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाय ।

(इस अवसर पर राजद एवं सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य संजय जी, आप बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, हम आसन की तरफ से आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आखिर आप ही बताइये कि सदन के इतने सारे सदस्य एक साथ उठकर बोलने लगेंगे तो फिर सदन की क्या मर्यादा रहेगी और उसमें अगर दोनों तरफ के माननीय सदस्य शामिल हो जायं तो स्थिति और भी अच्छी नहीं रह जाती है । माननीय सदस्यगण, आसन इतना जरुर मानता है कि अगर आप कह रहे हैं कुछ भी बात तो वह जरुर महत्वपूर्ण होगी और अगर आप इतनी जल्दी में मामला उठाना चाहते

हैं, तब तो वह और भी महत्वपूर्ण होगा लेकिन सदन में महत्वपूर्ण बातों को उठाने का अपना तरीका होता है, अगर आप बेतरीका उठाते हैं, तो न सिर्फ सदन की मार्यादा का

टर्न-1/राजेश/28.11.17

हनन होता है बल्कि उस बात का महत्व भी खत्म होता है, जिस बात को आप कह रहे हैं इस तरीके से चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या विपक्ष के । अब आप ही कहिये, आज की कार्यसूची को देखिये, प्रश्न से लेकर ध्यानाकर्षण तक यानी ध्यानाकर्षण में भी जो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिससे पूरा राज्य प्रभावित होता है, आसन की तरफ से ऐसी कोशिश की गयी है या की जाती है कि प्रश्नों में खास तौर से ध्यानाकर्षण में इस तरह के मुद्दे स्वीकृत हों जिसमें सभी माननीय सदस्यों की रुचि हो या सारे प्रदेश के लिए जिसकी बात का महत्व हो । आज की कार्यसूची में देखिये कि इस तरह से अलग-अलग.....

(व्यवधान)

अभी क्या प्वायंट ऑफ आर्डर होगा, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, अभी तो अध्यक्ष बोल रहे हैं इसमें क्या प्वायंट ऑफ ऑर्डर होता है ? अब हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि कृपया प्रश्नकाल को चलने दें, उसके बाद आप जो भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, वह उठाएं लेकिन हम आपको शून्यकाल के समय में, जो भी आपके कहने की बात होगी, अभी ही स्मारित कर देना चाहते हैं कि उसके बाद ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव लिये जाते हैं । आप सभी माननीय सदस्य कार्यसूची को उलटकर देख लीजिये, राज्य के दो महत्वपूर्ण विषय जिससे पूरा राज्य प्रभावित है ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से, उनपर सदन को विमर्श करना है । यह आपका फैसला होना है, यह आपके हाथ में है कि आप जनता के हित में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसपर सार्थक विमर्श हो या दोनों तरफ की उत्तेजना में सदन का समय जाया हो । यह फैसला पूरे सदन को करना है इसलिए आसन की तरफ से विनम्र प्रार्थना है सभी माननीय सदस्यों से कि अब प्रश्नकाल या जो लिस्टेड बिजनेस है कार्यसूची में, उसको चलने दें । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, सरकार सरकार होती है और सरकारी पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी, वैसे तो हम सबों की जिम्मेदारी है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है । महोदय, आपने देखा होगा कि सरकारी पक्ष के लोग जिस तरह से उठकर किये, ऐसा तो विपक्ष भी नहीं करता है.....

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, मुझे लगता है कि सिद्दिकी जी विषय को डायभर्ट करना चाहते हैं । महोदय, सब कुछ फूटेज में उपलब्ध है, आप अगर फूटेज को निकाल कर देखें, तो सबसे पहले विपक्ष के माननीय सदस्य ललित जी खड़े हुए थे, उसके बाद ही इधर के लोग खड़े हुए हैं महोदय । इसलिए ये लोग सदन का समय जाया करते हैं .....

(व्यवधान)

टर्न-2/सत्येन्द्र/28-11-17

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः क्या सत्य है और क्या असत्य है, आसन देख रहा था ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्रीः पूरा सदन देख रहा है, हंगामा करने के उद्देश्य से आप आये हैं, काम करना उद्देश्य नहीं रह गया है, यह देख रहा है सदन और सदन ही नहीं पूरा बिहार देख रहा है इसको ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः इस तरह से प्रोटेक्ट कीजियेगा तो हाउस नहीं चला पाईयेगा ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्रीः मनमानी नहीं चलेगी बतला देते हैं सिद्दिकी साहब, सदन नियम से चलेगा । मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी करने की कोशिश मत कीजिये, कोई मनमानी नहीं चलेगी, नियम से चलेगा सदन । आप हंगामा करना चाहते हैं, हंगामा कर के विषय को डायभर्ट करना चाहते हैं । आप केवल हंगामा करना चाहते हैं कुछ और नहीं करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः चलिये अब बैठ जाईए । ये सबसे अच्छी बात है, इस अव्यवस्थित स्थिति में भी सबसे अच्छी चीज जो निकली, दोनों तरफ से बातें कहीं गयी, उसका सार तत्व यही है कि सदन के सुचारू रूप से संचालन में अकारण चाहे इधर से हो या उधर से हो अव्यवस्था आती है तो सबको खराब लगता है । यह स्थापित बात है इसलिए अब प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1(श्री समीर कुमार महासेठ)

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः 1-उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार में 18-23 आयु वर्ग के प्रति लाख आबादी पर 7 महाविद्यालय संचालित है ।

2 एवं 3–राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु कृत संकल्पित है । राज्य में छात्रों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की गयी है:–

1–सरकार वैसे अनुमंडलों में जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है, वहां डिग्री महाविद्यालय स्थापित कर रही है । साथ ही वैसे सभी प्रखंडों में जहां पूर्व से डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

2–विधि की उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है ।

3–प्रबंधन की उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गयी है। साथ ही बोध गया में भारतीय प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना राज्य सरकार के सहयोग से हुआ है ।

4–तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना की गयी है ।

5– राज्य सरकार की पहल पर उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया में दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई चल रही है ।

6–इसके अलावा भागलपुर में ऐतिहासिक बिक्रमशीला विश्वविद्यालय के स्थल के नजदीक एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई चल रही है।

7–राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है । अबतक तीन निजी विशविद्यालय क्रमश: के0के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ, संदीप विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं अमीटी विश्वविद्यालय, पटना अधिसूचित भी हो चुका है ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि शायद मंत्री जी पूरा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं हैं । डिपार्टमेंट का जवाब आ गया है, पुन: हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये मानते हैं कि उनका जो प्रतिशत है बहुत कम है और मंत्री जी का जवाब है हमारे यहां ये हो रहा है वो हो रहा है तो पलायन क्यों हो रहा है? मेरा पूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी जवाब दें, बिहार राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में इसलिए है कि क्योंकि इस राज्य के बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा के बाद ही राज्य में शैक्षणिक वातावरण नहीं रहने और संसाधन के अभाव में राज्य के बाहर पढ़ने के लिए विवश होते हैं और प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रू0..

अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न ?

श्री समीर कुमार महासेठ: वहीं तो कह रहे हैं पूरक हमारा है इसलिए...

अध्यक्षः आप तो उत्तर दे रहे हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठः नहीं नहीं। हमारा यह कहना है कि निश्चित तौर पर जो पहला उन्होंने कहा और दूसरे का जवाब दिया, तीसरे का तीनों भिन्न है इनका क्वेश्चन से भिन्न अंसर है इसलिए हम पूरक पूछ रहे हैं कि जब राज्य से हजारों करोड़ रू0 बाहर चला जाता है तो माननीय मंत्री से जानना चाहता हूॅ कि क्या सरकार बतलायेगी कि यहां के कितने विद्यार्थी राज्य के बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और प्रति विद्यार्थी औसत खर्च क्या है ?

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः ये मूल प्रश्न में आपका नहीं है आपने जो प्रश्न किया है उसका विस्तार से हमने जवाब दिया है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और आगे हमारी क्या योजना है उच्चतर शिक्षा के प्रसार विकास के लिए तो हमने जो कुछ भी कहा है, आप उसको ठीक से अध्ययन कर लीजिये, आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री समीर कुमार महासेठः निश्चित तौर पर ..

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी ने जो प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग से प्रश्न है, ये आम का जवाब दे रहे हैं इमली का तो अब हम इनसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं अगर आप इमली के बारे में जो बता रहे हैं तो इमली का पेड़ कहां कहां लगाया है आपने, मतलब कहां कहां कॉलेज खोल रहे हैं खोलने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है, वह स्पष्ट बतलाईए ?

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः हमने तो बतलाया ही है । आप जवाब को फिर से एक बार देख लीजिये।

अध्यक्षः जहां खोल रहे हैं, वह बतलाये हैं ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः पूरा बतलाये हैं, विस्तार से बतलाये हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय, राष्ट्रीय औसत 25 कॉलेज का है और आपके यहां 6 कॉलेज है तो विद्यार्थियों के संख्या के अनुपात में और 25 चाहिए राष्ट्रीय औसत के लिए तो क्या सरकार इतने अंतर को पाटने के लिए अग्रेत्तर जो कार्रवाई कर रही है उसका कुछ तो बतायें, सदन सरकार से ये तो जानना चाहती है अल्पसूचित के माध्यम से, सवाल यहां है, राष्ट्रीय औसत में हम कहां हैं, हम 6 हैं और हमारा राष्ट्रीय औसत 25 है, सवाल यहां है तो इसका उत्तर तो माननीय मंत्री दे नहीं रहे हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने तो बताया था जो कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं..

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः उसके रहने के बाबत ये वर्त्तमान परिस्थितियों में है ।

अध्यक्षः अभी खोल रहे हैं तो..

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः तो कहां खोल रहे हैं ? कहां-कहां खोल रहे हैं, ये बतला तो दें?

अध्यक्षः उसका लिस्ट तो बतलायें है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः कहां बतलाये हैं महोदय, ये चाणक्य लॉ कॉलेज तो ऑलरेडी पहले से है और चाणक्य लॉ कॉलेज की चर्चा कर रहे हैं ,नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं, आपका एडुकेशन के लिए कहॉ कॉलेज है।

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः हम पढ़ भी रहे हैं और ...

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः सवाल यह है कि राष्ट्रीय औसत 25 है और बिहार में 6 कॉलेज है, इसके अंतर के संदर्भ में सरकार कहां कहां कॉलेज खोल रही है यह तो बतला दीजिये, ये सवाल है न?

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः ये हम आपको फिर से बतला रहे हैं आप चाहियेगा तो आपको लिखित भी दे देंगे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः आप तो वही बतला रहे हैं जो ऑलरेडी है । अभी वर्त्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय औसत है हम उसके निचले पैमाने पर है, उस औसत को प्राप्त करने के लिए आगे कहां कहां क्या कर रहे हैं ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा,मंत्रीः इसमें काफी समय लगेगा आप कहिये तो हम आपको लिखित भिजवा देते हैं ।

अध्यक्षः भिजवा दीजिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः आप बतला दीजिये, बतला ही दीजिये, सदन जानना चाहती है बतला दीजिये।

अध्यक्षः वे बतला दिये हैं, विस्तार से मिल जायेगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2(श्री मो0 नेमतुल्लाह)</u>

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्रीः 1-उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्ष 2017 में विकलांगों की संख्या बढ़कर 25 लाख होने की सूचना अभी अप्राप्त है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । सभी दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक है उनको बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत से अधिक है एवं बी0पी0एल0 है, उन्हें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत अच्छादित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को रू0 400 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान माह जून, 2017 तक किया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न-3/मधुप/28.11.17

...क्रमशः ...

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : दिव्यांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार के लिये पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के माध्यम से 1.5 लाख रूपये तक की राशि उपलब्ध करायी जाती है । इस राशि पर अल्प ब्याज देय है ।

3. उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, दो बात कहनी है इसमें । एक यह है कि बिहार सरकार 400 रू0 मंथली देती है, दूसरा यह कि दिल्ली सरकार 2.5 हजार रू0 देती है तो क्या बिहार सरकार यह मानदेय बढ़ाना चाहती है ?

दूसरी बात यह है कि स्व-रोजगार के लिये, जो दिव्यांग से शादी करते हैं, उसको तीन साल तक इंतजार करना पड़ता है, 50 हजार रूपया उसको सरकार देती है । लेकिन शादी के तुरंत बाद कोई स्व-रोजगार के लिये इनकी कोई व्यवस्था नहीं है । क्या दिव्यांग का आयोग बनाकर कोई इस तरह का रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी ? यह मेरा पूरक प्रश्न है ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, स्व-रोजगार के लिये 1.5 लाख रू0 तक की राशि लोन के रूप में उपलब्ध करायी जाती है जिसका बहुत अल्प ब्याज देय होता है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, उसके लिये कोई अलग से व्यवस्था नहीं है । कोई उसका आयोग नहीं है, जेनरल में चला जाता है, सब लोग अप्लाई किया अति पिछड़ा आयोग में, सबलोगों को मिला तो मिला लेकिन अलग से दिव्यांग के लिये कोई व्यवस्था सरकार करना चाहती है ? यह मैं जानना चाहता हूँ । जो मंथली पेंशन है 400 रू0 ये किये हुये हैं, जो दिल्ली सरकार 2.5 हजार रू0 देती है, इसको सरकार बढ़ाना चाहती है ? इसके परमानेंट रोकथाम के लिये कोई उपाय सरकार करना चाहती है ? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो मॉग है, उसपर विभाग विचार करेगा, अभी फिलहाल 400 रू0 से बढ़ाने की कोई योजना नहीं है लेकिन विचार सरकार करेगी।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : लेकिन हमने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं आया कि कोई व्यवस्था करके इसको अलग से ऋण और स्व-रोजगार की व्यवस्था सरकार करना चाहती है या नहीं ? जेनरल में इसको डाल दिया गया है । इसके लिये कोई अलग से आयोग बनाने का विचार सरकार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीया मंत्री जी, माननीय सदस्य का स्पष्ट कहना है कि दिव्यांगों के लिये जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जैसे दिव्यांग से शादी करने के बाद या उनको जो ऋण दिया जाता है वह भी समय पर नहीं मिल पाता है । उसके लिये जो राशि है, उसको भी बढ़ाने का माननीय सदस्य का अनुरोध है दिव्यांगों के हित में, तो सरकार इसपर विचार करे, देखे ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : जी । निश्चित रूप से सरकार इसपर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न । प्रश्न संख्या-1 ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देना – आगे हमारा भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष : वह आगे भी आयेगा । अब आपके प्रश्न के यहाँ पहुँचने में तो कूदना पड़ेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : एक बार सरकार कूद जाय, क्या दिक्कत है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 01 (श्री ललन पासवान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत पथ को ब्लैक टॉप्ड रोड के रूप में निर्माण करने के लिये राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद से अनुमति माँगी गई थी, परन्तु प्राधिकार द्वारा बिना ब्लैक टॉपिंग किये हुये ऑल वेदर रोड बनाने की अनुमति प्रदान की गई है । अतएव इस स्वरूप में ऑल वेदर रोड निर्माण करने का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में स्वीकृत किया गया । विभाग द्वारा इस पथ के कैमूर जिला के अन्य 17.15 कि0मी0 को ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

इस बीच जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार के पथ निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं के मद्देनजर अंदेशा व्यक्त करते हुये ब्लैक टॉप्ड सड़क का निर्माण अनिवार्य बतलाया गया है । इस संबंध में सरकार द्वारा समीक्षा के उपरांत उक्त निर्णयानुसार उक्त वन्य पथ को ब्लैक टॉप्ड रोड के रूप में परिवर्त्तित करने हेतु अनुमति के लिये राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद के पुनर्विचार हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान : महोदय, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने प्रयास किया है....

अध्यक्ष : सरकार को धन्यवाद दे दिये तो अब अगला प्रश्न आने दीजिये ।

श्री ललन पासवान : एक सेकंड, सर । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वहाँ 225 गाँव रोड से वंचित हैं, कहीं आवागमन का साधन नहीं है, 15 कि0मी0 सरकार मोरम का रोड बनाई है । कालीकरण नहीं करने दे रही है, मोरम का रोड तो कम से कम सरकार अंतिम छोर तक बना दे जिससे अधवारा से रोहतास तक दो जिलों को जोड़ने का कम से कम सरकार व्यवस्था करा दे, मोरम का रोड बना दे । जो शेष राशि है, उस शेष राशि को दे दे, भारत सरकार से जो सरकार को बात करनी है, जो प्रयास सरकार कर रही है उसके लिये हम शुक्रिया व्यक्त करते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-02 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत माँझा प्रखंड के कोइनी ग्राम के शेखटोली में नया प्राथमिक विद्यालय कोइनी शेखटोली के लिए भूमि

उपलब्ध है, विद्यालय भवन निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत बजट स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

वर्त्तमान में नया प्राथमिक विद्यालय कोइनी शेखटोली को उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरानी बाजार, माँझा में चलाया जा रहा है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : वहाँ चलाया नहीं जा रहा है, गलत है । वहीं चल रहा है, भवनहीन है । यह सूचना गलत है कि शेखटोली में चलाया जाता है । वह कहाँ पर है ? 2-3 कि0मी0 दूर जाकर लड़के-बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं । हम चैलेन्ज करते हैं । फंड भी स्वीकृत है लेकिन आपके पदाधिकारी की निष्क्रियता की वजह से वहाँ का भवन नहीं बन रहा है । बहुत सारी बात है, इसको जाँच करवाइये और वहाँ भवन निर्माण करवाइये।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना वाजिब है, अगर आप भी कह रहे हैं कि वहाँ विद्यालय स्वीकृत है, जमीन उपलब्ध है, आपने यह भी कहा है कि हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसके लिये राशि आवंटित है, यह तो निश्चित रूप से जाँच आप किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से करा लीजिये । उसको तो बना देना चाहिये ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : ठीक है, जाँच करा लेंगे ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-03, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ।

श्री अशोक कुमार (208) : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा कि वहाँ विद्यालय चल रहा है, माननीय सदस्य ने कहा कि विद्यालय वहाँ नहीं चल रहा है तो जिस पदाधिकारी ने गलत सूचना सरकार को दी है, उसकी जाँच कराइये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री अशोक कुमार (208) : अध्यक्ष महोदय, इसपर निर्णय होना चाहिये ।

अध्यक्ष : निर्णय हो गया, जाँच होगी तो उसमें भी यह भी जाँच होगी ।

श्री अशोक कुमार (208) : पदाधिकारी द्वारा सदन को गुमराह किया गया, इसपर बहस होनी चाहिये।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-03 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)</u>

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- सहरसा, मधेपुरा, पुरैनी, चौसा होते हुये विजय घाट तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग की सूची में नहीं है । निजी बसों का इस मार्ग पर अधिपत्य है जिसके कारण निगम बसों के राजस्व लक्ष्य की पूर्त्ति होना सम्भव नहीं है एवं सहरसा प्रतिष्ठान से संचालन अभी बंद है ।

अतएव वर्त्तमान में उक्त मार्ग पर बस संचालन करने का निगम का कोई विचार नहीं है । विजय घाट का मार्ग भी अभी बसों के सुचारू रूप से चलने योग्य

नहीं हो पाया है । चूंकि यह मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, अतः बस का परिचालन किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि एन0एच0 107 एवं 106 पहले से केन्द्र सरकार द्वारा वह घोषित है । सहरसा से मधेपुरा और मधेपुरा से उदाकिशुनगंज, चौसा, पुरैनी एन0एच0 31 तक यह सड़क जाती है । कोसी नदी पर विजय घाट के निकट पुल भी बन गया है और उस होकर अनेक निजी बसें चल रही हैं । यह पथ भागलपुर जिला को सहरसा जिला और मधेपुरा जिला से जोड़ती है और बगल में पूर्णिया जिला भी है । आगे विक्रमशीला सेतु से होकर यह झारखंड से जुड़ जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह पथ है। तीन-चार जिलों के लोगों को सुविधाएँ मिलेगी ।

मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जॉच कराकर इस पथ पर राजकीय बस चलाने की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । इसको देखवा लीजियेगा । आपका एरिया भी है ?

टर्न-4/आजाद/28.11.2017

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पूरे बिहार का सवाल है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सहरसा एवं मधेपुरा जैसे महत्वपूर्ण जगह पर कह रहे हैं कि सरकारी बसें नहीं चल रही है तो क्या नालन्दा जिला में कितनी सरकारी बसें चल रही है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

अध्यक्ष : यह इससे संबंधित नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह इसी से संबंधित है । सहरसा एवं मधेपुरा में बस नहीं चला रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नालन्दा जिला में कितनी सरकारी बसें परिवहन निगम की चल रही हैं ?

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : महोदय, मैं जॉच कराकर देखवा लेता हूँ, यथासंभव हम प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-4 (श्री अचमित ऋषिदेव)</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि अरिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के विशनपुर पंचायत के ग्राम बनभाग वार्ड नं0-08 महादलित टोला के 1 कि0मी0 की दूरी के अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मधुलत्ता है । यहाँ सभी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं ।

3. अस्वीकारात्मक है । नियमानुसार 1 कि0मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं की जा सकती है ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि विद्यालय की जरूरत को देखते हुए स्थानीय लोग जमीन देना चाहते हैं किन्तु वे सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य का नाम से विद्यालय का नाम जोड़ा जाय, अगर सरकार का आश्वासन हो जाय तो विद्यालय के लिए जमीन दान के रूप में उपलब्ध हो जायेगा । वहां महादलित के परिवार हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अचमित जी, मंत्री जी ने तो दूसरी बात कही थी, अगर आप कोई नया प्रस्ताव देना चाहते हैं तो लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, उसपर वे विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-5 (श्री जनार्दन मॉझी)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण करने का लक्ष्य है । विभागीय स्वीकृति आदेश सं0-506 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अमरपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय, मेडियानाथ में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2. उत्तर अस्वीकरात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

3. उत्तर कंडिका-1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-6 (श्रीमती वर्षा रानी)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड में मध्य विद्यालय गोट खरिक अवस्थित नहीं है । ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रखण्ड में प्राथमिक विद्यालय, गोट खरिक अवस्थित है, जिसमें दो नियमित एवं तीन नियोजित शिक्षक अर्थात् कुल पॉच शिक्षक पदस्थापित है, जिनमें से कोई उर्दू शिक्षक नहीं है ।

उक्त विद्यालय में कुल नामांकित 197 छात्र/छात्राओं में से एक भी छात्र/छात्रा उर्दू विषय का नहीं है जिसके कारण उक्त विद्यालय में उर्दू शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-7 (श्री रामदेव राय)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण करने का लक्ष्य है ।

2. उत्तर अस्वीकरात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मंसूरचक प्रखंड में कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय, दशरथपुर, मंसूरचक में विभागीय स्वीकृति आदेश सं0–208 दिनांक 29.07.2015 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। भगवानपुर प्रखंड में विशुनदेव नरेर उच्च विद्यालय,तया में विभागीय आदेश सं0–115 दिनांक 13.06.2017 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

3. उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, 2007 से लगातार प्रश्नों के जरिए, ध्यानाकर्षण के जरिए, याचिका के जरिए स्टेडियम निर्माण की मांग उठती रही है परन्तु ये कागज पर हमेशा आश्वासन देते रहे हैं । अगर इजाजत हो तो मैं डेट बताऊं आश्वासन का, 20.12.2016 को, फिर ये आश्वासन दिये हैं 29.03.16 को, फिर दिये 28.07.2017 को आश्वासन दिये हैं कि तुरंत निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और आज डेट दे रहे हैं स्वीकृति का लेकिन स्वीकृति का कोई सूचना प्रश्नकर्त्ता को नहीं है और आपके आश्वासन का पूरा कागज मेरे पास है । आप यह बताईए कि मार्च तक तीनों प्रखंड में जहां प्रश्नकर्त्ता के जरिए स्थल दिया गया है, वहां स्टेडियम बनाने का कार्य प्रारंभ कर सकेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले से एक प्रखंड में एक स्टेडियम निर्माण करने का लक्ष्य है, इन्होंने दो प्रखंड के बारे में कहा है, मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि 13.06.2017 को स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, इसी साल छठा महीना में सर।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूँ । क्या आगे आने वाला मार्च, 2018 में, आपको चार महीना का समय दे रहा हूँ, क्या इस बीच में स्टेडियम का निर्माण हो सकेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो आपने स्टेडियम की स्वीकृति दी है, उसके पूरा होने का लक्ष्य कुछ निर्धारित है अगले वित्तीय वर्ष में या .....

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : ठीक है सर, टेंडर प्रक्रिया भवन निर्माण से होता है, हम जल्दी पत्र भेज देंगे कि इसको जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, जल्द शब्द का कोई डिक्शनरी में अर्थ है ? माननीय मंत्री जी, आपके कानून में जल्द शब्द का क्या अर्थ होता है, मैंने तो आपको 4 महीना का समय दिया है, चूँकि आप नया मंत्री हैं । आप यह बोलिए कि मेरा 4 महीना में स्टेडियम निर्माण हो जायेगा ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : महोदय, चार महीना में संभव है सर । हम इसकी टेंडर की सारी प्रक्रिया चार महीना में पूरा कर लेंगे ।

श्री रामदेव राय : लास्ट है सर, प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया नहीं समझ रहा हूँ, क्या प्रक्रिया अपनायेंगे, बालू, सिमेंट देकर के कार्य शुरू कराने का या कागजी घोड़ा दौड़ाने का, कौन

सी प्रक्रिया अपनायेंगे, हुजूर आप इसमें डायरेक्शन दे दीजिए । आपके डायरेक्शन से ही यह काम होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है और आसन को जो समझ में आया है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का अर्थ होता है कि टेंडर डिसाईड करके जो एजेंसी उसके लिए चयनित होती है, उसके साथ एग्रीमेंट करके, उसको वर्क ऑर्डर देकर के कार्य प्रारंभ करा देंगे । इसलिए सरकार इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेगी, जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

श्री रामदेव राय : सर, निर्धारित समय बता दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपकी ही बात को उन्होंने चार माह कहा है ।

श्री रामदेव राय : हमने चार माह में स्टेडियम निर्माण करके काम समाप्त करने के लिए कहा है।

अध्यक्ष : आप दोनों आदमी का टाईम चार माह का ही है, आप समाप्त करने के लिए कह रहे हैं और वे प्रारंभ करने के लिए कह रहे हैं फर्क यही है ।

श्री रामदेव राय : सर, आप डायरेक्शन दे दीजिए ।

अध्यक्ष : चार माह में पूरा नहीं हो सकता है ।

श्री रामदेव राय : जवाब दिलाया जाय सर ।

अध्यक्ष : चार माह में पूरा नहीं हो सकता है । अभी टेंडर ही नहीं निकला है, टेंडर निकलेगा, डिसाईड होगा, फिर एग्रीमेंट होगा, वर्क ऑर्डर होगा । ऐसा आप अव्यवहारिक आदेश कराकर जल्द से जल्द, यह सही बात है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो मानिये कि जल्दी से जल्दी पूरा होगा ।

श्री रामदेव राय : आपकी सरकार ही अव्यवहारिक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप पुराने हैं । सरकार आसन की नहीं होती है, सरकार जनता की या बहुमत की होती है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, आसन भी इसी सदन के सदस्य होते हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, जब आश्वासन हो गया पहले तो फिर प्रश्न कैसे स्वीकृत हुआ ? क्या आश्वासन के बाद भी फिर प्रश्न स्वीकृत किये जाते हैं ?

अध्यक्ष : उसकी आगे की प्रक्रिया है । चलिये । माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-8 (श्री नीरज कुमार सिंह)</u>

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखण्ड के छोहार पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छोहार

के भवन निर्माण हेतु दिनांक 09.07.2014 को निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन किया गया था । परन्तु पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण नहीं कराया जा सका । भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

बरारी प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरारी नाम से अवस्थित नहीं है ।

टर्न-5/अंजनी/दि0 28.11.17

श्री नीरज कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी, वर्ष 2014 में आपने स्वीकृत किया बिना भूमि का, यह बड़े आश्चर्य की बात है । सर, पांच बैच वहां से मैट्रिक के बच्चे एवं बच्चियां पास कर गयी, न तो वहां कोई वर्क का संचालन हो रहा है और न कुछ हो रहा है तो शिक्षा का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है ?

अध्यक्ष : आपके मुताबिक वहां जमीन उपलब्ध है ?

श्री नीरज कुमार सिंह : जमीन जब उपलब्ध नहीं था तो स्वीकृत कैसे हुआ महोदय ?

अध्यक्ष : यह तो अलग बात है । आप बताइए कि आपकी जानकारी में क्या है, आपका क्षेत्र है ?

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, जमीन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : वह आप कागजात उपलब्ध करा दें, सरकार भवन बनायेगी ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, असल में जिला पदाधिकारी को वहां के लोगों ने इन्टरेस्ट में जमीन दे दिया है ।

अध्यक्ष : जमीन दे दिया है तो कागज उपलब्ध करा दीजिए, तब न सरकार देखेगी ।

श्री नीरज कुमार सिंह : कब तक सरकार इसको करायेगी ?

अध्यक्ष : यह तो आप पर निर्भर करता है ।

श्री नीरज कुमार सिंह : हमलोगों ने जमीन दे दिया है जिला पदाधिकारी को ।

अध्यक्ष : आप कागज उपलब्ध करा दीजियेगा ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार का काम है ।

अध्यक्ष : काम सरकार का या काम जनता का होता है ?

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : स्कूल का एफिलियेसन ही बंद होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भवन निर्माण कार्य कराने की बात कर रहे हैं और आप एफिलियेसन कैन्सिल कराने की बात कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-9(श्री जिवेश कुमार)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-1021, दिनांक 05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है । एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत विभागीय पत्रांक 167 दिनांक 11.02.2014 के द्वारा प्रश्नाधीन पंचायत के मध्य विद्यालय, जहांगीर टोला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । जहां सहशिक्षा(को-एजुकेशन) की व्यवस्था है । उक्त पंचायत में अलग से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, वह मेरे प्रश्न का नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि पूरे 26 पंचायत में एक कन्या उच्च विद्यालय है । मैंने माननीय मंत्री जी से 26 पंचायत में दूसरे कन्या उच्च विद्यालय का मांग किया है और जिस जगह पर मैंने कन्या उच्च विद्यालय मांगा है, उसके अगल-बगल के पांच गांव की बेटियां वहां पढ़कर शिक्षित हो सकती हैं । जिस विद्यालय का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, उसकी दूरी इस स्थल से पांच किलोमीटर से भी अधिक है और पूरा सुनसान एरिया है । इसलिए कन्या उच्च विद्यालय वहां विशेष परिस्थिति में बनना चाहिए । वहां जगह भी उपलब्ध है । मैं जगह उपलब्ध कराकर देता हूँ सरकार को और वहां कन्या उच्च विद्यालय स्थापित करने का आश्वासन सदन को दें माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि पहले बालिका विद्यालय का अलग से प्रावधान था लेकिन अब हम और आप सभी महसूस करते हैं कि बिहार में बदलते हुए हालात की वजह से अब लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्कूल में आ रही हैं, इसलिए अब को-एजुकेशन है, सह-शिक्षा है, इसलिए अलग से बालिका विद्यालय बनाने का कोई बात है ही नहीं ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, आखिरी सवाल । उस क्षेत्र का, उस जगह का अवलोकन करा लें, अगर वहां, ठीक है एक पंचायत में सरकार की योजना है तो एक विद्यालय दे दिया को-एजुकेशन में, तो उस क्षेत्र की बेटियों को पढ़ने के लिए सरकार से निवेदन है कि अगर को-एजुकेशन का ही विद्यालय देना है तो एक उच्च विद्यालय कथित जगह पर दिया जाय, यह मेरा निवेदन है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-10 (श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, खंड-1 एवं 2, मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करने हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को इस कार्यालय के पत्रांक 1133 दिनांक 27.11.2017 द्वारा निदेशित किया गया है ।

खंड-3- इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–11(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1– उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वर्त्तमान में विद्यालय में कुल 6 कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें कुल 3 कमरे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, 10+2 की छात्र–छात्रायें अध्ययन करते हैं ।

2– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

भवन निर्माण कार्यपालक अभियंता, आर0ई0ओ0–2 के द्वारा कराया जाना था, जिसकी कुल राशि 26 लाख रूपया दी जा चुकी है । वर्त्तमान में कार्यकारी एजेंसी के विलय होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के द्वारा भवन बनाया जाना है ।

यह उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज को बुलाकर अधूरे भवन के संबंध में समीक्षा की गयी । समीक्षा में ज्ञात हुआ कि कुछ विद्यालय द्वारा भवन निर्माण की कुल राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, फिर भी उसका भवन निर्माण पूर्ण कर दिखा दिया गया है और कुछ विद्यालय में भवन राशि पूर्ण रूप से दिये जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में जहां राशि बकाया थी और भवन बन चुका था, वहां से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज को राशि उपलब्ध करा दी गयी है । तदुपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर चार कमरे, पांच कमरे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 700 बच्चियां हैं और विगत 6 साल से 700 बच्चियां मात्र एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है और एक कमरे का जो साईज है, उसमें मुश्किल से 50 बच्चियां भी नहीं बैठ सकती हैं । पेड़ के नीचे हमारी 700 बच्चियां जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रही है और मैं लगातार प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा कि आप वहां पर एक कमिटी बनाकर इसकी जांच कराइए । मैं स्वयं वहां के इंजीनियर से भी मिला और उनसे पूछा कि इस भवन का क्या मामला है ? इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इसका टेंडर लिया था और हेडमास्टर के माध्यम से 26 लाख रूपया की निकासी हो गयी और भवन भी नहीं बना । 26 लाख रूपये की निकासी भी हो गयी और भवन भी नहीं बना और अभी जवाब जो मुझे मिल रहा है कि वहां पर कमिटी बनायी गयी है, पैसा दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हम जो लगातार इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं तो इस संबंध में मुझे एक आश्वासन मिले कि 700 बच्चियों में से करीब–करीब 600

बच्चियां दलित की बेटी पढ़ती है उस स्कूल में तो क्या आपके राज्य में दलित की बेटियों को पक्के मकान में पढ़ने का अधिकार है कि नहीं और अगर है तो वह भवन आप कितने दिनों में बनाकर दलित की बेटियों को पढ़ने के लिए देंगे, यह हम आपसे आश्वासन चाहते हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, जो सूचना मिली है, उसके अनुसार 6 कमरे वहां उपलब्ध हैं और शेष का जो निर्माण नहीं हो सका है, उसके बारे में बताया कि ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि कमरे जो नहीं बन पाये हैं, वह जल्द-से-जल्द कबतक बना दीजियेगा, वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि मैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर शीघ्र-से-शीघ्र इस काम को पूरा करा देंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री हमारे यहां के प्रभारी मंत्री भी हैं.....

अध्यक्ष : और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य कराउंगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हमने दस-दस बार प्रधान सचिव को पत्र लिखने के बाद भी संवेदक पर एफ0आई0आर0 नहीं हुआ । ये प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री होने के नाते ये स्वयं हमको वहां पर बुलाते कमिटी में.....

अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2011-12 का मामला है। 26 लाख रूपया किसी एजेंसी ने निकाल लिया और नहीं बना तो यह गंभीर बात है । माननीय सदस्य कह रहे हैं तो आप अपने स्तर से इसकी जांच करा लीजिए और माननीय सदस्य को भी बुला लीजियेगा । इनके सामने जांच करा दीजिए। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं।

टर्न-6/शंभु/28.11.17

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इसमें 26 लाख रूपया निकासी हो गया है तो मंत्री महोदय को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताना चाहिए।

श्री अत्रि मुनि ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : ये सवाल राज्य से भी जुड़ा हुआ इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर स्थापना मद से पैसे निकाल लिये हेडमास्टर और सचिव मिलकर के और निर्माण अभी तक नहीं पूरे किये गये हैं। इस विषय में एक समग्र आदेश.....

अध्यक्ष : आप जिस विद्यालय के बारे में कह रहे हैं उसकी सूचना दीजिएगा सरकार जॉच करायेगी।

(व्यवधान)

क्या है विनोद जी, बोलिये।

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य एजेन्सी प्रमंडल-2 के द्वारा तय किया गया था तो वैसे कितने विद्यालय हैं राज्य के अन्दर जो इन एजेंसियों ने पैसा लेकर के अभी तक निर्माण नहीं कराया है। मेरे क्षेत्र अन्तर्गत भी सुग्गी उच्च विद्यालय का पैसा निकासी हुआ, लेकिन अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ तो माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में अवगत कराने की कृपा करेंगे क्या ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए। बैठियेगा तब न। अब आप बताइये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, लगातार जब से नयी सरकार बनी है एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं- सृजन घोटाला से लेकर छात्रवृत्ति घोटाला से लेकर के दलित महाविकास मिशन घोटाला से लेकर के शौचालय घोटले से लेकर के और माननीय सदस्य सर्वजीत जी ने जो मूल प्रश्न उठाने का काम किया है, यह 26 लाख मात्र एक विद्यालय की बात है और सत्तापक्ष के सदस्य भी यह सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रेक्टर हैं जो गलत काम करके- सरकार का खजाना पर कंट्रोल ही नहीं है, सरकार के खजाने का पैसा निकलता जा रहा है कोई हिसाब-किताब नहीं है सरकार के पास और यह सरकार नैतिकता और अन्तर्आत्मा पर इतना कार्रवाई करती है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, क्वेश्चन आवर है कि भाषण है ये ? क्या है ये ? महोदय, क्वेश्चन आवर है, भाषण का समय नहीं है.....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या खिलाफ हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, ये क्वेश्चन आवर है भाषण का समय नहीं है। जब उनको भाषण करने का समय मिलेगा तब करेंगे.....क्वेश्चन करने का अधिकार है करें वे, तो भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : नन्दकिशोर जी, हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार के लोग भ्रष्टाचारियों के साथ हैं या संरक्षण देने का काम कर रहे हैं या खिलाफ हैं ? आप क्यों विरोध कर रहे हैं ? इसमें गलत हमने सवाल उठाया है ? सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य कह रहे हैं आप क्या बात कह रहे हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : क्वेश्चन कीजिए भाषण क्यों कर रहे हैं ? क्वेश्चन करिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : शांति बनाये रखिये, हर बात पर आप गुस्सा होते हैं, इतना चिड़चिड़ाहट क्यों है आपमें ? बात-बात पर खड़े हो जाते हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : कायदा सीखिये, क्वेश्चन कीजिए, भाषण क्यों दे रहे हैं ? क्वेश्चन कीजिए न कौन मना करता है। कुछ सीख लीजिए, बड़ी कुर्सी पर बैठ गये हैं तो कुछ कायदा कानून सीख लीजिए।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, लगातार मंत्री से लेकर प्रधान सचिव से लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा होती है तो उस समीक्षा में ये घोटाले क्यों नहीं उजागर होते हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोटाला को पकड़ते हैं ? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय नेता विपक्ष, ये जो मामला प्रकाश में आया है, माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि माननीय सदस्य को विश्वास में लेकर इस मामले की जाँच करायेंगे और चाहे विनोद जी ने कहा है या जिन किसी ने भी ये बात उठायी है, यह आसन जरूर चाहेगा कि जिन भी माननीय सदस्य के संज्ञान में किसी भी इस तरह के मामले की सूचना है वह सरकार को दें और सरकार इसकी जाँच करायेगी।

तारांकित प्रश्न सं0-12(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है। अद्यतन पेंशनधारियों की कुल संख्या 1 लाख 24 हजार 398 है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। प्रखंडवार एवं जिलावार पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान का प्रतिवेदन ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध है। जिसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अपने युजर आइ0डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से देख सकते हैं एवं प्रखंडवार एवं जिलावार प्रतिवेदन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक मार्च 2016 से मार्च 2017 तक कुल 46 लाख पेंशनधारियों को चार चरण में राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी सूची चरणवार अलग-अलग ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध है। चारों चरणों में भुगतान की गयी राशि को समेकित कर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक एम0आइ0एफ0 डेवलप किया जा रहा है। माह अप्रैल, 2017 से जून 2017 तक कुल 53 लाख 91 हजार पेंशनधारियों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जिसे समेकित करते हुए ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- कंडिका-1 और 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के मा0 सदस्यगण वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं, अपनी जगह पर जाकर बोलिये। बोलिये ललित जी बोलिये। आपलोग जगह पर जाइये।

(इस अवसर पर राजद के मा0 सदस्यगण अपनी सीट पर चले गये)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने इस सवाल को उठाया और आपको इस विषय को सदन की कमिटी से जॉच कराना चाहिए। यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। महोदय, घोटला पर घोटाला हो रहा है और आसन भी कोई निर्णय नहीं लेगा तो हमलोग क्या करें ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो उठाया आसन ने उसपर निर्णय दिया कि जो भी माननीय सदस्य इस तरह के मामले की जानकारी देंगे- आखिर सदन की कमिटी बनेगी उसको भी तो सूचना सदस्य को देनी होगी। हमने तो कहा है कि आप सूचना दीजिए और सरकार जॉच करायेगी।

श्री ललित कुमार यादव : सदन की कमिटी से जॉच करा दीजिए, पूरे बिहार का मामला है, पूरे सदस्य की जन भावना है। सदन की यह भावना है कि सदन की कमिटी से ही जॉच हो। महोदय, इस तरह से घोटला होगा.....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय ललित यादव जी पुराने सदस्य हैं और सदन में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है जो विषय प्रश्न में आया है। महोदय, माननीय मंत्री ने स्पष्ट उत्तर भी दिया है और जो इसमें शंका है उसके बारे में आसन से भी निदेश दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर जानबूझकर के माननीय सदस्य इस तरह का प्रश्न उठाकर के सदन के आगे की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं तो उसका मतलब दूसरा है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है और माननीय स्पीकर साहब के निदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई अगर माननीय सदस्य के द्वारा किया जायेगा तो ये सदन है और सदन में स्पष्ट निदेश दिये गये हैं स्पीकर साहब की तरफ से उसका अनुपालन सरकार करेगी।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : तो सदन की कमिटी से जॉच करा दें, इसमें क्या जाता है महोदय।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव।

टर्न–7/अशोक/28.11.17

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : आज दिनांक 28.11.2017 के लिए माननीय सदस्यगण सर्वश्री सत्यदेव राम, ललित कुमार यादव एवं रामदेव राय से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । आज सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राज्य में कई घोटाले प्रकाश में आये हैं, शौचालय घोटाला, बॉध घोटाला, सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, सहायक प्राध्यापक बहाली घोटाला, प्रधान मंत्री आवास योजना घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, चावल घोटाला, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में घोटाला, धान खरीद घोटाला, बोड़ा घोटाला आदि प्रमुख हैं, इन घोटालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, सरकार इन सारे घोटालों पर आंख मुंद कर के बैठी हुई है और प्रभावी कदम नहीं उठा रही है । इससे प्रतीत होता है कि सरकार घोटालेवाजों को अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान कर रही है जिससे सरकार की नीति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है महोदय । इतना बड़ा, घोटाला पर घोटाला हो रहा है और इससे बड़ा जनहित का मामला क्या होगा जब राज्य के खजाने को लूटा जा रहा हो ।

अध्यक्ष : अब शून्य–काल होने दीजिये । आप ही सदस्यों की शून्य–काल की सूचना है । अब शून्य काल । डा0 शमीम अहमद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, इसमें मेरी राय होगी कि इस पर विचार करके इसको एक्सेप्ट किया जाय क्योंकि प्रश्न काल हो या आपका शून्य काल हो महोदय, बिहार के विकास पर चर्चा होती है, इन सारे चीजों पर जो खामियां होती हैं उन पर चर्चा होती है और जब सरकार का खजाना इसी प्रकार से लूटाया जायेगा, तो कोई भी विकास कार्य के लिए जरूरी है पैसा, जब जनता का पैसा इस तरह से भ्रष्टाचारी चुरा करके, स्कैम करके घोटाला करे तो इम्पलिमेंटेशन तो जीरो है, तो कोई भी विकास पर चर्चा के पहले, घोटाले इतने जो उजागर हो रहे हैं, जब से इनकी चार महीने की सरकार है और लगातार एक के बाद एक घोटाला है, ऐसा लग रहा है कि सेल में घोटाला हो गया है, एक घोटाला करने वाले को दो–दो, तीन–तीन घोटाला करने की छूट है, और जो नैतिक जिम्मेवारी बनती है सरकार की अब बिहार में मुख्यमंत्रीजी को बिहार के विकास पुरूष के नाम से नहीं बल्कि भीष्म पितामह नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह उसके नाम से जाने जा रहे हैं । बिहार जो हैं महोदय वह घोटालों के प्रदेश से जाना जा रहा है । शौचालय घोटाला

के बाद बॉध घोटाला, एल.ई.डी. घोटाला, प्रोफेसर, लेक्चरर घोटाला और अभी सदन के अंदर एक और घोटाला का उजागर हुआ, जिसको हमलोगों को जांच करानी चाहिए । तो इस पर सरकार का क्या जवाब है ? बिहार की जनता अखबार खोलती है, टी.वी. खोलती है तो एक ही चीज का इंतजार रहता है कि अगला कौन सा घोटाला आ रहा है ? तो इस पर कोई गंभीरता सरकार की ओर से नहीं दिख रहा हैं तो लगातार एक सौ करोड़ की बात नहीं है, एक हजार करोड़ की बात है और इसमें छोटे-छोटे लोगों को, कर्मचारियों को, नीचे के लेवेल के लोगों को फंसाया जा रहा है, आज तक कितने मंत्री और बड़े अधिकारी, प्रधान सचिव के लेवेल तक के कितने पर कार्रवाई हुई, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ । नीतीश जी के शासनकाल में, 12 से 13 साल में कितने घोटाले हुये और इन पर क्या कार्रवाई हुई ? सरकार को उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष, हम बतलाते हैं ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इतने घोटाले का जिक्र किया, इनको तो बेनामी सम्पत्ति के बारे में बतलाना चाहिए, एक हजार करोड़ की जो बेनामी सम्पत्ति का मामला है जिस पर सी.बी.आई. की जांच चल रही है, इसके बारे में भी बतलाना चाहिए कि आखिर इतने कम उम्र में, 28 साल के उम्र में 28 सम्पत्ति के मालिक कैसे बन गये, हजारों करोड़ से ज्यादा की बेनामी सम्पत्ति कैसे इकट्ठा कर ली इसके बारे में बिहार की जनता को बतलाना चाहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : एकदम बतायेंगे, एकदम बतायेंगे । कभी मुख्यमंत्री जी बच्चा कहते हैं, कभी हमको भ्रष्टचारी बता रहे हैं, तो इनका यही मानसिकता है कि जब 13-14 साल के उम्र में भी लोग भ्रष्टाचार किया, हम तो पूछना चाहते हैं कि दो साल-डेढ़ साल जब भी हम मंत्री रहे, तीन-तीन डिपार्टमेंट रहा, जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद पर हम बैठे, हमने कौन सा गलत काम किया, कोई जवाब है आपके पास, कौन सा भ्रष्टाचार किया हमने, (व्यवधान) एक मिनट, नाम की चीजों को बेनामी बनाकर के झूठा-झूठा केस, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुआ सुशील कुमार मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के केस में, मर्डर के केस में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और जुर्माना भी 20 हजार का, जुर्माना भी पटियाला कोर्ट के लोगों ने देने का काम किया है । आपके भाई, आपकी बहन रेखा मोदी जी का सृजन घोटाला में नाम आया है । आपके भाई आशियाना डेवलपर्स .....(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : आप सफाई दे दिये होते तो आज इसी कुर्सी पर बैठे हुये रहते, आपने तो सफाई नहीं दी । 28 साल की उम्र में एक हजार करोड़ की सम्पत्ति के मालिक बने ।

अध्यक्ष : अब शून्य-काल होने दीजिये । शून्य-काल ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : आप चार्जशीट की बात कह रहे हैं तो इंतजार कीजिये बहुत जल्द चार्जशीट भी फाईल हो जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्य-काल । डा0 शमीम अहमद । अब शून्य-काल होने दीजिए, आप ही के मेम्बर हैं । नेता, प्रतिपक्ष, आपने तो अपनी बात कह दी । अब डा0 शमीम अहमद, शून्य-काल । शीघ्र सूचना पढ़े ।

डा0 शमीम अहमद : महोदय,पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी से लखौरा होते हुये छोड़ादानों PWD कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के मिलीभगत के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। दोषी पर कार्रवाई करते हुये शीघ्र उक्त सड़क का मरम्मत कराया जाय ।

श्री फैसल रहमान : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी वार्ड नं0-04 के निवासी संजीव कुमार जायसवाल उर्फ छोटू जायसवाल की 25/11/2017 को गोली मार कर हत्या कर दी गई । नगर थाना मोतिहारी में थाना काण्ड संख्या-838/17 दर्ज है । छोटू जायसवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बिहार राज्य एएनएम(आर) संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर सेवा के नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर नर्सों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, लेकिन सरकार इसे लगातार अनसुना कर रही है, उनकी मांगों को अविलम्ब पूरा करने की मांग करते हैं ।

श्री महबूब आलम : पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में आनाकानी कर रही है । सदन के माध्यम से नियोजित शिक्षकों सहित सभी ठेकाकर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड बिहपुर के ग्राम झंडापुर में तीन महादलितों की अपराधियों द्वारा नृशंस हत्या एवं एक बच्ची, जो घायल है, मेडिकल कॉलेज, पटना में जीवन-मौत से जूझ रही है।

अतः पीड़ित परिवार को बीस लाख मुआवजा, डी.एम., एस.पी.की मुअत्तली और अपराधियों की गिरफ्तारी की माँग करता हूँ ।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, दिनांक 12.11.2017 को सिवान जिला के तरवारा थाना जी.वी. नगर अतर्गत माधोपुर जलालपुर रोड पर गोपालगंज जिला के वरेली प्रखण्ड के मथुरापुर के दो अनूसूचित जाति के (1) स्वर्गीय विजय कुमार राम पुत्र श्री जंगलाल राम (2) स्वर्गीय संदीप कुमार राम पुत्र श्री नारायण राम को तेज रफ्तार ट्रक से कुचल देने से स्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

मैं मृतक के आश्रितों को चार-चार लाख रूपया दिलाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : बिहार से बाहर अन्य राज्यों में पढ़नेवाले छात्रों के साथ स्थानीय राज्य के छात्रों द्वारा मारपीट की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गयी हैं । बाहर पढ़नेवाले छात्र भयाक्रांत हैं ।

अतः राज्य से बाहर पढ़नेवाले छात्रों को सुरक्षा हेतु सरकार समुचित पहल करे।

टर्न-8/ज्योति/28-11-2017

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला में नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रस्तावित आर.ई.ओ. का पुल जिसका चेक लिस्ट पत्रांक 1483 अनुलग्नक, कटिहार दिनाँक 30-11-16 को ही तैयार कर लिया गया था परन्तु कोई काम नहीं हो पाया जिसके कारण आम जनों को काफी कठिनाईयाँ हैं ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में अमारुत महकम पुर के पास निलाजन नदी में पुल निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल का सम्पर्क पथ का कार्य बाधित है । आम जनों को काफी कठिनाई हो रही है जनहित में अविलंब सम्पर्क पथ का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार विभूति डा0 अनुग्रह नारायण सिंह की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि औरंगाबाद में डा0 अनुग्रह नारायण विश्वविद्यालय खोलने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, दैनिक जागरण 24-11-17, औरंगाबाद संस्करण में शीर्षक ''धरातल परियोजना में ही खा गए लाखों रुपये''- औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के कई पंचायत सचिवों द्वारा करोड़ों का गबन का मामला प्रकाश में आया है अतः आग्रह है कि जाँच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, प्रदेश के स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । 230 दिन देरी हुई है इस सत्र में किताब पहुंचाने में और इसके बावजूद बिना पढ़े लड़के अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए हुए हैं और अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं । सरकार की इस लापरवाही की जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए और इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराते हुए समय पर किताब मुहैय्या कराने की व्यवस्था की जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के गौसाघाट एवं जीवछघाट पर प्रति वर्ष पूरे राज्य एवं पड़ोसी देश नेपाल से लाखों श्रद्धालू माघी मेला में आते हैं । दोनों घाटों का पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया है दोनों घाटों को पर्यटन स्थल घोषित करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

(माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है जिसतरह से विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में .....

अध्यक्ष : यह सदन का मामला नहीं है ।

सर्वश्री अब्दुल बारी सिद्धिकी,चन्द्रिका राय एवं अन्य पॉच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है । 81 प्रतिशत विद्यालयों में निर्धारित मापदंड के अनुरुप शिक्षक नहीं है जिसका कुप्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है । सरकारी आंकड़े के अनुसार शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:57 है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1:35 होना चाहिए। दूसरी तरफ 2011 में T.E.T. उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी नियुिक्ति के लिए प्रतिक्षारत हैं जिनकी नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है ।

अत: छात्र एवं शिक्षा के हित में T.E.T. 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के अनुरुप शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:52 है । प्रारम्भिक विद्यालयों में औसत उपस्थित 62 से 65 प्रतिशत रहती है इसप्रकार औसत उपस्थिति के आधार पर शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:38 है औसत उपस्थिति के आधार पर शिक्षक एवं छात्र का अनुपात निर्धारित मानक के अनुरुप है । कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अनुपात में अधिक और कुछ विद्यालयों में कुछ शिक्षकों की संख्या अनुपात में कम है शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को निर्देश दिया गया है कि नियोजन इकाई अंतर्गत मानक शिक्षक-छात्र के अनुपात के अनुरुप शिक्षकों का समायोजन किया जाय । जिलों में इस निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है । इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. 22199/2013 एवं संलग्न वादों में दिनॉक 31-10-17 द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत संगत नियोजन नियमावली के नियोजन से संबंधित प्रक्रिया को रेड डाउन कर दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. में जा रहा है एवं सर्वोच्च न्यायालय से जैसा निर्देश प्राप्त होगा तद्नुरुप कार्रवाई की जायेगी । तत्काल उपरोक्त कारणों से शिक्षक नियोजन की अगेकतर कार्रवाई करने में विधिक कठिनाई है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, जो मूल थ्रस्ट है हमारे ध्यानाकर्षण का, मैं उसपर ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि 2011 में T.E.T. के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी

थे, कुल कितने थे , उसमें कितने की बहाली हुई और कितने लोग बच गए और क्यों कर बच गए ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, नियोजन की कार्रवाई करना चाहते थे, करने ही वाले थे लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसमें दो रुल्स 6 और 8 को रेड डाउन कर दिया गया तो अब हम लोगों के सामने विधिक कठिनाई है हमलोग अभी नियोजित करने की स्थिति में नहीं है । हमलोगों ने उसके नियोजन के हेतु बजाप्ता आगे बहुत दूर तक जा चुके थे लेकिन यह कठिनाई आ गयी है, अब सुप्रीम कोर्ट में हमलोग गए हैं वहाँ से क्या आता है तब फिर नियोजन की कार्रवाई शुरु होगी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैंने बहुत स्पष्ट पूछा माननीय मंत्री जी से कि कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी, उसमें कितने की बहाली हो गयी और कितने लोगों की बहाली नहीं हो पाई और अगर विधिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई हैं तो विधिक कठिनाईयाँ उनको नियुक्त नहीं करने के कारण हुई, वे लोग कोर्ट गए या सरकार कोर्ट गयी या कौन गया यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा , मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं अपने मूल प्रश्नों में जिन बातों की चर्चा उन्होंने नहीं की है उसका भी ये जवाब चाहते हैं, अब तो उसकी जानकारी लेकर मैं आपको दे दूंगा अलग से भेज दूँगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैंने तो सरकार से स्पष्ट पूछा महोदय, मगर लगता है माननीय मंत्री जी आप गंभीर आदमी हैं उत्तर जब देने आईये तो पढ़ लिखकर आया कीजिये समझा कि नहीं ?

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इनका शिष्य रहा हूँ । इन्होंने ही सिखाने में ही कुछ कोताही की होगी ।

अध्यक्ष : अब मामला आसन तो देख रहा है कि मामला गुरु शिष्य के बीच का है इसमें दूसरे तीसरे क्यों पड़े ?

श्री अब्दुल बारी : महोदय, मैं आसन का ही संरक्षण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : बिल्कुल ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैंने इनसे बार बार पूछा कि कुल कितने उत्तीर्ण छात्र थे उसमें कितने की बहाली हुई और कितने की नहीं हुई ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपने जो कहा है वह सदन में संज्ञान में लिया है और माननीय सदस्य भी लगता है कि उससे वाकिफ हैं या संतुष्ट हैं कि अभी फिलहाल न्यायालय के इंटरफेयरेंस के कारण न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बहाली रुकी हुई है । यह सिर्फ बार बार तीसरी बार इन्होंने यही पूछा है T.E.T. 2011 में कितने लोग उत्तीर्ण हुए थे और उसमें से कितने की नियुक्ति हुई और कितने बच गए तो यह सूचना अगर अभी

उपलब्ध है तो दे दीजिये और अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो गुरु जी से समय ले लीजिये ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, उपलब्ध हो जायेगा तो मैं आपके यहॉ भेजवा दूँगा ।

टर्न–9/28.11.2017/बिपिन

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: मतलब यह ध्यानाकर्षण स्थगित हुआ ।

अध्यक्ष : स्थगित हुआ, आप निर्णय दे रहे हैं क्या ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी: नहीं महोदय । निर्णय नहीं दे रहे हैं । मैं समझ रहा हूं यही कि यह ध्यानाकर्षण स्थगित किया जाता है । जब मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ जिस तिथि को आएंगे तो उस दिन इसका उत्तर होगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: आप तो संख्या जानना चाह रहे है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, चूंकि आपने भी कहा है कि जो आपके ध्यानाकर्षण सूचना का मूल थ्रस्ट, जो शब्द आप ही ने इस्तेमाल किया था, वह है नियुक्ति करने के लिए और सरकार ने बता दिया है कि नियुक्ति न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण अभी बाधित है । सरकार उस अवरोध को खत्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का विचार रख रही है और उच्चतम न्यायालय जा रही है तो अब इसके मूल थ्रस्ट से, यह सूचना तो सप्लीमेंट्री सूचना है जो आपको दे दी जाएगी, इसको स्थगित करने से तो उस सूचना से तो मूल प्रश्न पर कोई असर पड़ेगा नहीं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी: महोदय, मूल बातें नहीं आ रही है, छुपाई जा रही है । जो अभ्यर्थी बच गए नियुक्ति के लिए, उनकी अगर नियुक्ति नहीं हुई तब वो हाइकोर्ट गए, हाईकोर्ट में क्या स्थिति हुआ, फिर ये हाईकोर्ट अभ्यर्थी जा रहा है या सरकार जा रही है, हाईकोर्ट ने कहीं से रोक नहीं लगाई, हाईकोर्ट ने तो कहा कि आप नियुक्ति कीजिए शेष का, मगर इन्होंने कहा कि विधिक बात है और इसको लेकर हम उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं । यह बता रहे हैं ये ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं विधिक व्यवधान है, विधिक व्यवधान कोई दूसरा नहीं कर रहा है, सरकार के द्वारा विधिक व्यवधान पैदा करके नियुक्ति की प्रक्रिया को रोका जा रहा है जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप नियुक्ति करें लेकिन सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रही है कि किसी तरह से नियुक्ति बाधित हो तो सरकार की मंशा मैं जानना चाहता हूं कि ये टी.इ.टी. 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति करना चाहते हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री:महोदय, कोर्ट ने रूल 6 और 8 को रेड डाउन कर दिया है जिसके माध्यम से नियोजन होता था । अब उस पर जब तक कि हाईकोर्ट से उसमें हमको राहत नहीं मिलती है हम नियोजन नहीं कर सकते हैं । इसलिए इसमें ...

(व्यवधान)

श्री भोला यादव : महोदय, इस क्वेश्चन को स्थगित रखा जाए ।

अध्यक्ष: अभी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है ।

श्री भोला यादव: कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं । मंत्री जी केवल...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह । अगली ध्यानाकर्षण सूचना ।

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, संजय सरावगी एवं अन्य अठारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [खान एवं भूतत्व विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, ''सम्पूर्ण राज्य में बालू एवं गिट्टी की आपूर्त्ति बाधित होने से सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित है । साथ ही बालू गिट्टी से सम्बन्धित कार्यों में लगे मजदूरों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है ।

अतएव बालू गिट्टी की आपूर्त्ति सुचारू रूप से कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, स्टेट इन्वॉयरॉनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA), बिहार के शर्त्त के आलोक में जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में राज्य के सभी बालू घाटों में नदी तल से बालू का खनन एवं प्रेषण कार्य बंद रखा गया था, परन्तु बालू की बंदोबस्तधारियों द्वारा पूर्व से ही पर्याप्त मात्रा में बालू का भण्डारण दूसरे भण्डारण स्थल (Secondary Loading Point) पर कर लिया गया था एवं यहाँ से प्रतिबंधित अवधि के दौरान कुल 30830750 घनफीट बालू का प्रेषण आम जनता एवं निर्माण कार्य के लिए किया गया है ।

01 अक्टूबर से राज्य के बंदोबस्त जिलों से बालू का उठाव एवं प्रेषण नियमित रूप से जारी है । तत्काल नियम एवं शर्त्तों के उल्लंघन....

(व्यवधान)

सुन लीजिए पहले, तत्काल नियम एवं शर्त्तों के उल्लंघन के कारण पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, जमुई, सिवान, सुपौल, गोपालगंज, मोतिहारी, पूर्णियाँ एवं वैशाली जिलों की बंदोबस्ती रद्द कर दी गयी है । इन जिलों की बंदोबस्ती नये सिरे से करायी जा रही है ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-3018/एम0 दिनांक 10.10.2017 द्वारा नया बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 लागू कर दिया गया है जिसमें लघु खनिजों की बंदोबस्ती प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बना दिया गया है । इस नियमावली के तहत बिहार राज्य खनिज निगम का गठन किया गया है जो आवश्यकतानुसार लघु खनिजों के

थोक अथवा खुदरा बिक्री, परिवहन एवं भण्डारण करेगी । इस नियम द्वारा दिनांक 01.12.2017 से आम जनता एवं निर्माण कम्पनियों को उचित दर पर बालू एवं अन्य लघु खनिज उपलब्ध कराने का विचार रखती है ।

(व्यवधान)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि 01.12.2017 से नई नियमावली के अंतर्गत खनिज संपदा में जो बालू है, गिट्टी है, उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी । आज तारीख है महोदय 28 नवम्बर । कई जिलों में कल बालु के भंडारण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है । वह टेंडर भी नहीं आ सका । संवेदक भी उसके लिए बहाल नहीं हो सका । अब 2-3 दिन का समय है । ऐसी कौन-सी प्रक्रिया यह अपनाना चाहते हैं कि 01 तारीख से बालू की व्यवस्था पूरे राज्य में और गिट्टी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी ?

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, कल बिहार के सारे रिटेलरों को बुलाकर उसका कार्यशाला हम बिहार की राजधानी पटना में करवा रहे हैं और 01 तारीख से सारे रिटेल दुकानदारों को लाइसेंस हाथ में दे दिया जाएगा और बहुत जल्दी ही अध्यक्ष महोदय, बालू की समस्या समाप्त हो जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, जिस नियमावली की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या यह वही नियमावली है जो समाचार पत्रों में आया है कि न्यायालय ने उसका ऑपरेशन स्टे कर दिया है ? क्या यह वही नियमावली है ?

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री: जो नयी नियमावली की बात कही गई है, जो नई नियमावली अध्यक्ष महोदय, जो लागू हमलोग करने जा रहे हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय, मात्र रोक लगाने की बात न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है लेकिन विषय सामने में नहीं है कि किन बिन्दुओं पर रोक लगाई गई है । नई नियमावली के अनुकूल अगर काम हमलोग प्रारंभ कर देंगे, 01 तारीख से करने वाले हैं ही, तो बालू की सारी समस्याओं का समाधान होगा । हाईकोर्ट का जो निदेश हुआ है वह मात्र स्टे का निदेश है लेकिन हाईकोर्ट द्वारा कौन-कौन विन्दुओं पर स्टे लगाया गया है वह मामला सामने आएगा तो हमलोग विचार करेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीजी महत्वपूर्ण सूचना सदन को दे रहे हैं । उनका कहना है कि जो न्यायालय ने रोक लगाई है उसमें गुंजाइश है या उससे कहां तक इस नियमावली का क्रियान्वयन रोका गया है, उसके संबंध में ये अलग-अलग बता रहे थे, उसको तो अच्छे से सुन लीजिए न ! एक बार फिर बता दीजिए मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्रीः नई नियमावली जो लागू किया गया है, वह 01 दिसम्बर से लागू होगा और आवश्यकता अनुसार जितने रिटेलरों के दुकानों की जरूरत होगी, उतनी आवश्यकता के अनुकूल रिटेलरों को हम दुकान हम देंगे बालू के । बालू जनता के बीच में जाए बालू उपलब्ध कराने के लिए, बालू में कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन कुछ ठीकेदार लोग उसपर जो मुकदमें किए हैं हाईकोर्ट के अंदर, तो तत्काल उसको स्टे किया गया है ... क्रमशः ....

टर्न-10/कृष्ण/28.11.2017

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : (क्रमशः) किन बिन्दुओं पर हाई कोर्ट ने स्टे किया है ।

अध्यक्ष : हाई कोर्ट ने क्या स्थगित किया है ?

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, वह बात तो सामने में आयी नहीं है तो उसका हम स्टडी कर लेंगे और सदन को जानकारी करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का कहना है कि हाई कोर्ट का पूरा फैसला अभी विभाग में नहीं पहुंचा है, पहुंच जाता है तब कौन-सा मामला है, उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो लघु खनिज खनन नीति नियमावली, 2017 की चर्चा की है । महोदय, सरकार को दारू और बालू में अंतर समझना होगा । दारू और बालू एक नहीं है । महोदय, सरकार ने जो नीति बनायी है, जो खनन नीति नियमावली, 2017 है । महोदय, जहां माफिया बालू का अवैध खनन कर रहा है, जहां अवैध रूप से क्रसर चल रहा है, आप उस पर कसकर कार्रवाई कीजिये ।

अध्यक्ष : आप को पूरक प्रश्न पूछना है ?

श्री संजय सरावगी : जी हां । इस नीति में उल्लेख किया गया है, हम अच्छे से बता देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें नीति क्या है ?

(व्यवधान)

इस नीति में सरकार ने जो नियमावली बनायी है, इसमें ट्रक पर जो बालू मिलेगा, उसको पांच लाख रूपया जुर्माना लगेगा और पांच साल का इसमें नन-वेलेबुल वारंट का प्रावधान किया गया है, बिहार के गांवों में गरीब ठेला पर 10 फीट बालू लाता है, ट्रैक्टर पर लाता है। अब इन्होंने लाईसेंस राज कर दिया है । लाईसेंस राज मतलब एक जिला में कहीं 50 लाईसेंस, एक ब्लौक में दो लाईसेंस, तीन लाईसेंस, चार लाईसेंस, अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा है कि जिनको-जिनको जितना लाईसेंस चाहिए, हम देंगे । तो जहां-जहां लौटरी हो रहा है, आज, कल, परसों, क्या सरकार उसको स्थगित करेगी ? एक तरफ सरकार लॉटरी करा रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिनको जितना लाईसेंस चाहिए, हम देंगे ।

अध्यक्ष : अब आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : पूरक प्रश्न हम यही पूछ रहे हैं कि इसमें जो ऐसे कड़े नियम हैं, जो अव्यावहारिक है, ट्रैक्टर में कहते हैं कि जी0पी0एस0 लगाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है । ट्रैक्टर में जी0पी0एस0 लगाना पड़ेगा, ट्रैक्टर में ई-लॉक लगाना पड़ेगा । गरीब व्यक्ति घर में व्यवसाय कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, हम मिथिला, दरभंगा की बात करते हैं । 4 महीना पहले वहां 3700/-रूपया में 100 फीट बालू मिलता था ।

अध्यक्ष : आपको पूरक प्रश्न पूछना है, लेकिन आप इस पर भाषण दे रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : नहीं,नहीं अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री जी कहा ।

अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, बालू का दर या गिट्टी का दर जो चार महीना पहले मिथिला और दरभंगा में 3700, 3800 का था, माननीय मंत्री जी 1 तारीख के बाद उसी दर पर बालू और गिट्टी बिकवाना सुनिश्चित करेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से पहले जानना चाहता हूं ।

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, बिहार के अंदर अवैध बालू का खनन । सुनिये ।

(व्यवधान)

बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिये यह सब नियम लाया गया है । महोदय, बिहार सरकार को 100 करोड़ रूपये की रॉयल्टी नहीं मिल रहा था और उल्टे बालू माफियाओं के घर पर 10 हजार करोड़ रूपये का एक तरफा संपत्ति इक्ट्ठा करके रखा था ।

जहां तक दर की बात है, अगर नया नियम लागू हो जायेगा और यह मेरा एक्सपेरिमेंट जब लागू हो जायेगा तो बिहार में पूर्ववत् दर बालू का हो जायेगा । हम बता देते हैं कि बालू बहुत सस्ता हो जायेगा । यह बताना चाहते हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सब को लाईसेंस देंगे, जितने लोग मांगेंगे, लाईसेंस के लिये सरकार का जो क्राईटेरिया है, उसमें जो-जो लोग लाईसेंस मांगेंगे, सब को हम लाईसेंस देंगे । एक तरफ माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि लाईसेंस देंगे और दूसरी तरफ आज दरभंगा में, कल मोतिहारी में परसों अन्य जगहों पर लॉटरी हो रही है ।

अध्यक्ष : आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं ? जितने लोग चाहेंगे, उतने को देंगे । एक ही बात को 10 बार बोल रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : उस लॉटरी को स्थगित करके सबको लाईसेंस देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग लाईसेंस मांगेंगे क्या उतने लोगों को लाईसेंस मिलेगा या कम लोगों को मिलेगा यह बतायें ।

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, हमने तो स्पष्ट कर दिया कि जितनी आवश्यकता होगी जिले के अंदर में, राज्य के अंदर में उतना रीटेलर दुकानदारों को लाईसेंस देंगे । बालू की कमी नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अंतिम पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में उच्च कोटि की जो गिट्टी है, वह केवल एक ही जिला गया जिला में मिलती है ।

अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : छत की जो ढलाई करते हैं या सड़क की ऊपरी सहत पर जो काली गिट्टी लगती है, वह बिहार में मात्र दो जगहों पर गया और नवादा या नालन्दा में मिलती है । मात्र 10 से 12 परसेंट गिट्टी बिहार में उपलब्ध है और 85 परसेंट गिट्टी दूसरे राज्यों से आयात होती है । ठीक है, सरकार का नियम है, बिहार में खनन वाले मान लेंगे लेकिन जो गिट्टी आयात होता है, दूसरे राज्यों से और उस पर सरकार की कोई नीति नहीं है तो 1 तारीख के बाद दूसरे राज्यों से स्टोन चीप्स बिहार में नहीं आयेगा, बिहार में 200 रैक गिट्टी आती है दूसरे राज्यों से आयात हो कर । इस पर तो सरकार की कोई नीति नहीं है । तो यह जो परसों से जो हाहाकार मचेगा, महोदय, माफियाओं पर तो सरकार नकेल लगा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय जी, आप सवाल पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, बिहार में मात्र 15 परसेंट काली गिट्टी उपलब्ध है, 85 परसेंट काली पत्थर की गिट्टी दूसरे राज्यों से आयात हो कर आता है । तो सरकार इस 85 परसेंट पत्थर गिट्टी लाने के लिये क्या करनेवाली है क्योंकि इस नीति में इस पर कहीं कुछ है नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, यह बालू का जो मामला है, बहुत गंभीर मामला है । यह मामला देहात के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मामला है । यह प्रधान मंत्री आवास योजना का जो लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोग जो ढकिया, ढकिया बैल गाड़ी पर बालू लाते है तो लाईसेंस की प्रक्रिया जब लागू हो जायेगी तो जबतक यह सरल नहीं होगा तबतक उन गरीबों का क्या होगा ? इसलिए मैं चाहता हूं कि गिट्टी और बालू पर जो व्यवस्था किया गया है, उसका सरलीकरण हो ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और अभी जो माननीय सदस्य सरावगी जी ने जो सवाल किया है, काली गिट्टी जो सबसे अच्छी होती है और वह गया में मिलता है, नवादा में मिलता है, सासाराम में मिलता है । रोहतास जिले का लगता है

सात-आठ सालों से पूरा का पूरा पहाड़ के पत्थर का खनन अवैध तरीके से हो रहा था और वहां के पदाधिकारी पूरी तरह से उसमें दारोगा से लेकर डी0एस0पी0 और एस0पी0 तक इन्वौल्व थे, आज तक बंद है, जिसके चलते हमारे जिले से पूरे बिहार में गिट्टी जाता था ।

अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ।

श्री ललन पासवान : महोदय, वहां जो पत्थर उद्योग चल रहा था, आज पूरा पत्थर उद्योग बंद है जिसके चलते 50 हजार से एक लाख मजदूर भूखे रोटी के लिये मर रहे हैं । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार बंद पत्थर उद्योगों को, आज की तारीख में बिहार में पत्थर नहीं है, क्या उसको चालू करने का विचार रखती है ?

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, गिट्टी के आयात पर कोई ब्रेक नहीं लगाया गया है । उस पर हमलोग विचार कर रहे हैं गिट्टी के संदर्भ में । आज ट्रेन से जितना गिट्टी राज्य में आयेगा, उन सबका भण्डारण होगा ।

दूसरी बात,माननीय सदस्य श्री ललन जी ने कहा है उस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि जो वैध तरीके से पहाड़ के पत्थर का काम किया जा रहा है उस पर कोई रोक नहीं है । अवैध तरीके से जो काम किये जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाया गया है ।

अध्यक्ष : अब अंतिम प्रश्न श्री विनोद प्रसाद यादव और श्री विरेन्द्र कुमार सिंह जी । माननीय सदस्य श्री विनोद जी, आप अपना प्रश्न पूछिये ।

टर्न-11/राजेश/28.11.17

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अवैध कारोबारियों पर लगाया है रोक, उसपर हमलोग और यह सदन पूरी तरह से सहमत है परन्तु माननीय मंत्री महोदय जी से हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो ओ0डी0एफ0 के तहत जो शौचालय बनाना चाहते हैं, जो इंदिरा आवास बनाना चाहते हैं, उनको जो बालू में कठिनाई हो रही है, तो उन लोगों के लिए सस्ते दर पर बालू देने की सरकार की क्या योजना है ?

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि बालू खनन में जो पहले टैक्स का स्लैब था, फाईन का स्लैब था, जो पहले पकड़े जाते थे, उनको फाईन 12 से 17 हजार के बीच किया जाता था लेकिन अभी जो नयी नियमावली है महोदय, उसमें फाईन का स्लैब एक लाख से पॉच लाख तक है, जिसमें किसान वर्ग जो छोटे-छोटे किसान हैं महोदय, वे ट्रैक्टर खेती के लिए लेते हैं और जब उनका खेती

समाप्त हो जाता है, तो वे सीजन में कुछ भाड़ा का भी कारोबार करते हैं, तो वैसे लोगों को जब पॉच लाख रुपया फाईन किया जायेगा, तो कृषकों पर जो छोटे-छोटे लोग निर्भर करते हैं, तो उन लोगों पर जो पुराने दर पर टैक्स था, फाईन का था, तो क्या सरकार उस पुराने फाईन दर को लागू करना चाहती है और मिट्टी की खुदाई जो लोग कर रहे हैं, एक गुरुआ में महोदय, मिट्टी लेकर आ रहा था ट्रैक्टर, तो उसे पकड़ लिया गया, तो क्या मिट्टी खोदने पर भी माईलिंग के लोगों ने जो फाईन लगाया है, तो क्या सरकार इसको देखेगी ?

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि रोहतास में जो बंद गिट्टी का पहाड़ है, उसको क्या सरकार चालू कराने का विचार रखती है ?

दूसरी बात महोदय, यह है कि बालू की बहुत ही अच्छी नीति सरकार ने बनायी है, इस नीति को जितना जल्द हो सके, इसको लागू करिये, कड़ाई से लागू कीजिये और कब तक आप गिट्टी को चालू करा देंगे, यह हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने सदन को जानकारी कराया है कि एक दिसम्बर 2017 से बालू और गिट्टी का सारा का सारा प्रॉब्लम समाप्त होगा । महोदय, नई नियम के तहत जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और सदन के अंदर में जो भी सवाल किये जा रहे हैं, वह भविष्यवाणी वाला सवाल है । हमारा जब एक्सपेरिमेंट हो जायेगा, तो गिट्टी और बालू का सारा प्रॉबलम का समाधान हो जायेगा, कोई इसमें संशय नहीं है । हम बिहार में गिट्टी की कमी नहीं होने देंगे, बालू की कमी नहीं होने देंगे, एक-एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास बनेगा, शौचालय का निर्माण होगा, जो गरीब लोग हैं, जो घर बनाना चाहेंगे, उनको भी हम बालू और गिट्टी सस्ते दर पर देंगे, यह हम सदन को जानकारी कराना चाहते हैं ।

अध्यक्षः ठीक है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न-12/सत्येन्द्र/28-11-17

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक,2017''

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,गृह विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के बाद विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक,2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैं यह संशोधन देखकर थोड़ा हतप्रभ हो गया हूँ, चूंकि संशोधन में जो वर्णित तथ्य हैं उसमें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया है । एक ओर जब मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखता हूँ तो थोड़ा गौरव बढ़ता है कि ये इतने शक्तिशाली हैं साथ ही सभी परिस्थितियों से डटने वाले भी हैं और दूसरी

ओर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोत्तरी के लिए हमारे बिहार का खाजाना खाली करने की जरूरत पड़ गयी है । ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गयी बिहार में कि हमारे मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए बहालियों का सिलसिला जारी हो रहा है जबकि वर्ष 2000 का यह विधेयक है और उसमें संशोधन 17 वर्षों के बाद हो रहा है । 17 वर्षों में लगभग 13 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री जी हमारे रहे हैं, इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और जान पर कोई खतरा नहीं आया है और आशंका भी नहीं है, न भूतो न भविष्यति, संभव भी नहीं है तो फिर क्या आवश्यकता है, आप देखेंगे, मैं ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ , श्रीमान् आप यह देख लीजिये, आजतक हमलोग देखते रहें कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से ही विधेयक पर खास संशोधन लाने की परिपार्टी रही है कुछेक को छोड़कर लेकिन यह आश्चर्य है कि हमारे निर्भीक और जागरूक मुख्यमंत्री के लिए बिहार के खजाने को खाली करने की जरूरत क्यों पड़ी? अतः बिहारवासियों के लिए यह चिन्ता का विषय है, मैं भी चिन्तित हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना खतरा की घंटी बज रही है तो हमलोगों के भविष्य का क्या होगा, हमलोग कैसे सुरक्षित रह सकेंगे? क्यों, अब यह देखिये आपके बिहार में 839 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस है, इस पर गौर कर लीजिये जिन्हें प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे काम करने पड़ते हैं, जिनके भरोसे आमजनों की सुरक्षा कायम है पर इस पर किन्हीं की कोई चिन्ता नहीं है, चिन्ता है सिर्फ भी0आई0पी0 के लिए उसमें भी आप भी0आई0पी0 की सुरक्षा में कटौती कर ही रहे हैं। आप इसमें लिखे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और आप यह देखेंगे, इसमें एक सी0एम0 साहब के सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने के लिए 6.36 करोड़ खर्च का प्रस्ताव है जिसमें 531 की नयी बहाली होनी है, उधर उनके सांगठनिक ढांचा में भी बढ़ोत्तरी के लिए संशोधन लाया गया है जबकि अभी हमारे यहां 39 हजार पुलिस की जरूरत है । उस पुलिस की बहाली के लिए आपने कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी है और केवल पटना राजधानी में 200 हत्याएं होती हैं, इस नवम्बर माह में 200 हत्याएं हुई हैं लगभग और जिलों की बात छोड़ दीजिये, मैं उतना समय नहीं बर्बाद करूंगा हाउस का और उसके लिए कोई व्यापक और ठोस कदम उठाने की जरूरत आपने महसूस नहीं की है और आप हमारे निर्भिक मुख्यमंत्री को भयभीत करना चाहते हैं इस अधिनियम के जरिये तो बिहार जो गौरवशाली राज्य रहा है एक ओर तो आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं, हमारे मांझी जी की सुरक्षा में कटौती कर लिये, लालू जी की सुरक्षा में कटौती कर लिये, अनेक जजेज और अनेक लोगों की सुरक्षा में कटौती की गयी है और फिर भी आप ये देखेंगे कि आज आपको 141.95 करोड़ खर्चा भी0आई0पी0 की सुरक्षा पर है और उसमें 32.18 करोड़ खर्च की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आपने लाया है इसकी क्या आवश्यकता है और आप डर से लिख दिये कि इसमें एक और महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कौन महानिरीक्षक, कौन महासमादेष्टा, उप

समादेष्टा, कितने सब समादेष्टा हमारे मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिए इतने की जरूरत ही नहीं है, बिहारवासी काफी हैं । देखिये हमारे लालू जी कितने निर्भीक हैं, हमारे मांझी जी को देखिये कितने निर्भीक हैं, हटा लिये है तब भी उनको कोई चिन्ता परेशानी नहीं है तो हम भी चाहते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को इसी परिस्थिति में रखें । हम गौरवशाली राज्य के नागरिक है, हमारा मुख्यमंत्री इतना कायर नहीं होगा कि किसी से डर जायेगा इसलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूॅ कि यह उचित नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है चूंकि 17 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी इसी तरह सुरक्षित रहे हैं और ये क्या हो गया, हो सकता है ऐसा तो नहीं है ये लालू जी से डर गये हैं, हमको लगता है कि ये लालू जी से डर गये हैं, उनकी सुरक्षा हटा ली गयी है तो आपको डर समा गया है इसलिए यह उचित नहीं है आप इसको वापस कर लीजिये कृपा होगी राज्य के व्यापक हित में और आप ख्याल रखिये कि बिहार में..

अध्यक्ष: अब आप समाप्त करिये ।

श्री रामदेव राय: कैसे? अभी बात समाप्त होगी तब न । मैं तो अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा हूॅ सुरक्षा भी अपने लिये नहीं मांग रहा हूॅ । मैं तो बिहार की बात कर रहा हूॅ । आप उसकी चिंता कीजिये आये दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है..

अध्यक्ष: वह बात आप बोल चुके हैं, एक ही बात को कितनी बार बोलियेगा ?

श्री रामदेव राय: मैं यह अनुरोध करता हूॅ इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको वापस कर लीजिये यह राज्य के व्यापक हित में होगा और राज्य का खर्चा बच जायेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, रामदेव बाबू को हम समझते थे कि ये सिनियर आदमी हैं, मंत्री भी रहे हैं, इनको पढ़ने लिखने की भी ज्यादा रूचि है लेकिन आज मुझको लगता है कि वे कम्प्लीट उम्र के ख्याल से दिवालिया हो गये हैं ,वर्ष 2000 का यह विधेयक है, ये संशोधन पर न बोलते, पूरे को कह रहे हैं कि वापस ले लीजिये बाकी चीज मैं अंत में बोलूंगा ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: इसमें श्री ललित कुमार यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री भोला यादव द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

> '' बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

महोदय,ये ''बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक, 2017'' जो लाया गया है, महोदय संयुक्त प्रवर समिति को हमलोग भेजने की मांग किये हैं कि एक माह नियत

समय पर वह अपना जांच प्रतिवेदन दे । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार की सुरक्षा तो मुख्यमंत्री जी के जिम्मे है और यह उनके जिम्मे लगा हुआ रहता है। ये जहां भी जाते हैं सभी जिला का सुरक्षा बल वहां पहुंच जाता है । महोदय, तो हमें लगता है कि विशेष सुरक्षा के यह संशोधन का कोई औचित्य नहीं है और इसमें विशेष सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर्णांकित की गयी है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा संख्या बल, इसमें जो दर्शा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा और वर्त्तमान मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा, यह इसमें स्पष्ट नहीं है महोदय, आप देखें होंगे कि अखबार में अभी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भी सुरक्षा में कमी कर दी गयी। महात्मा गांधी भी महोदय कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं थे कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था लेकिन उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गयी और कौन लोग किये महोदय यह बतलाने की जरूरत नहीं है आप भी आसन भी जानता है सभी लोग सदन के जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं ऐसे लोगों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी यह बदलाव की राजनीति कर रहे हैं महोदय और केन्द्र भी भी इनकी सरकार है और यहां भी इनकी सरकार है तो अपने सुरक्षा पर तो सारा ध्यान है महोदय लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी भी हैं उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया है इसमें। (क्रमशः)

टर्न–13/मधुप/28.11.17

... क्रमशः ....

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मुख्यमंत्री जी के लिये पूरा बिहार का सुरक्षा लगा हुआ रहता है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पर भी स्पष्ट होना चाहिये, कर्णांकित होना चाहिये । वैसे, सामंती तत्व से हमलोगों के नेता को भी खतरा है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, केन्द्र में भी यही हैं यहाँ भी यही हैं, उनके भी सुरक्षा में जो कमी की गई है उसको भी दूर करें । यही मेरा सुझाव है, महोदय । संयुक्त प्रवर समिति को इसको सौंपा जाय ।

अध्यक्ष : आपके सुझाव पर तो लगता है कि सरकार पहले से सजग थी क्योंकि विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु में स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की धारा–5 में, विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन हेतु संशोधन की आवश्यकता समझी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इसमें मुख्यमंत्री जी के लिये किया है या पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये किया है, यह स्पष्ट नहीं है । आई0जी0 स्तर की सुरक्षा में लगाई गई है, उनकी

सुरक्षा पहले से आई0जी0 स्तर के जिम्मे है । सुरक्षा के लिये डी0जी0 स्तर का स्पेशल सेल बनाना चाहिये जिसमें विधायकों के सुरक्षा की भी बात सम्मिलित हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, दुहराना नहीं चाहता हूँ मगर तकनीकी बिन्दु पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक ओर आप अपने उद्देश्य में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र किये हैं, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आप कटौती कर रहे हैं । इसका क्या औचित्य है ? जब आप स्वयं विधेयक लाये हैं तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती करने का कोई कारण तो नहीं है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें इस संशोधन को वापस करके आप पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को समान सुविधा प्राप्त कराने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव तो कर रहा हूँ श्रीमान्, लेकिन सरकार को कहिये कि जरा आवश्यक बिन्दु पर भी ध्यान दे ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड-(3) में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''एवं'' एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''सहायक समादेष्टाओं'' को विलोपित किया जाय ।''

इतना पोस्ट क्रियेट करने की क्या जरूरत है ? उप समादेष्टा की क्या जरूरत है? आप 531 बहाली भी कर रहे हैं, एस0पी0 भी बहाल कर रहे हैं, समादेष्टा, उप समादेष्टा, सहायक समादेष्टा, इनकी क्या जरूरत है ? इसलिये इसको विलोपित कर दिया जाय । इतने पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड-(3) में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''एवं'' एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''सहायक समादेष्टाओं'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मुझे इसपर बोलना है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2000 का संशोधन सदन में आया है । इसमें खास बात यह की गई है कि पहले से तो यह पास था ही मगर इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा के लिये एक तरह से फोर्स बनाया गया, कैडर बनाया गया 531 लोगों का ।

महोदय, जहाँ तक अपने राज्य का सवाल है तो अक्सर माननीय सदस्य लोग सवाल उठाते रहते हैं कि थाना नहीं है, फिर सवाल उठाते हैं पुलिस चौकी का, फिर सवाल उठाते हैं हत्या का, लूट का, रेप का । यह सारी सवालें उठती हैं मगर उसमें अक्सर कहा जाता है कि पुलिस बल की कमी है और जितना नेशनल लेवेल पर जो प्रति थाना पुलिस की आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा पर हमारे राज्य में है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षित रहें, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित रहें, हमलोगों की शुभकामना भी है कि सुरक्षित रहें और इनको सुरक्षित रखा जाय । मगर इतना जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ बिहार की जनता भी सुरक्षित रहे। बिहार की जनता को सुरक्षित रखने के लिये जहाँ यह आवश्यकता थी थाना बढ़ाने की, पुलिस बल बढ़ाने की, पुलिस की नियुक्तियाँ बढ़ाने की, वहाँ आम लोग भगवान भरोसे हैं । यह संदेश जा रहा है देश में और राज्य में कि जनता रहे राम भरोसे, मगर जो हमलोग हैं इनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिये बल्कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये ।

महोदय, अक्सर यह भी सवाल उठता रहता है कि पुलिस बल को वेल-इक्वीप्ड किया जाय, पुलिस बल को अच्छा से अच्छा तकनीकी और वैज्ञानिक यंत्रों से लैस किया जाय । उसपर हम राशि के लिये केन्द्र सरकार के आश्रय पर हैं कि पैसा मिलेगा तो इसको हम करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो संशोधन लाया है, मुझको लगता है शायद पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारा भ्रम हो । हमारा भ्रम है कि

यह जो 531 का फोर्स जब माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में आ जायेगी तब अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला दौरा होगा तो इसमें जिला बल की पुलिस को नहीं लगाया जायेगा । माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो डी0एम0, आई0जी0, डी0जी0पी0, सारे लोग रहते हैं । ....क्रमशः .....

टर्न–14/आजाद/28.11.2017

..... क्रमशः .....

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : मगर उसके लिए अलग से 531 लोगों का एक फोर्स इनकी सुरक्षा के लिए मुहैय्या कराना राज्य की गरीब जनता में यह संदेश देना है कि भले हमारी हत्या हो जाय तो हो जाय, भले हमारी बच्चियों का रेप हो जाय तो हो जाय, भले हमारा लूट हो जाय, डकैती हो जाय मगर इसके लिए पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत नहीं है । ऐसी स्थिति में हमारा अनुरोध होगा कि आप इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसको अभी स्वीकृत नहीं किया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, रामदेव बाबू ने जिस सवाल का जिक्र किया, मैं वहां से प्रारंभ करता हूँ । क्या है इसमें लिखा हुआ । यतः राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों बहुवाचक एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को, जिसका मैरेज नहीं हुआ है, समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से 'बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम,2000' के प्रावधानों के अधीन विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया गया है, किया जा रहा है नहीं, आगे किया जायेगा नहीं ।

यतः विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन के कारण कोई नया सृजन का प्रस्ताव नहीं है, सृजित है, सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है । यह संशोधन जो है, आई0जी0, डी0आई0जी0 और एक समादेष्टा के पद को जो 500 लोग हो गये हैं, इसके मुताबिक जिन–जिन को यह सुविधा इस 2000 एक्ट के तहत है, उनके लिए एक अलग नियुक्त जो लोग हैं, उसी में से लिया जायेगा । चूँकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में जाते हैं । प्रेसीडेंट भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, इसको एक विशेष ट्रैनिंग देकर के एक्यूप्ड किया जायेगा । इसीलिए यह राज्य के हित में है, कभी जरूरत पड़ेगी राज्य के मामले में तो उनको भी गाईड किया जायेगा, ऐसा नहीं है कि 500 लोग मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ चलते हैं । अन्य भी चीजें हैं ।

(व्यवधान)

अब आप बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे । महोदय, जब उस बेंच पर था, ये थे इधर तो ये भाषण दे रहे थे पक्ष में, यह ईष्यावश बोल रहे हैं । मैंने उस समय विरोध किया था, बाद में मुझे याद है कि आपके नेता ने मुझे जाकर के कुछ बातें

कही कि भाई आपके भी नीतीश जी को भी सुविधा उपलब्ध होगी, हम चुप हुए लेकिन कुछ मिला नहीं । इसीलिए इन सब बातों को छोड़ दीजिए ।

महोदय, यह 2000 का है । इसमें केवल एक संशोधन किया है, जो है - इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा), विशेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक(सुरक्षा), विशेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टाओं, उप समादेष्टाओं जो पहले से है एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जायेगी । इसका नियंत्रण करेगा पूरा फाईनल रिसपौंसबीलीटीज इसके अन्दर 531 लोग रहेंगे और विभिन्न जगहों पर जरूरत के मुताबिक इसको किया जायेगा, यही इसका मुख्य मकसद है और इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई नई नियुक्ति नहीं होगी । पहले से नियुक्त हैं महोदय ।

अब महोदय एक सवाल पूछा गया रामदेव बाबू ने जिक्र किया लालू जी का, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी का, अब महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि श्री लालू प्रसाद जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के संबंध में समादेष्टा 224, बी0आर0सी0 सी0आर0पी0एफ0 के द्वारा अपने फैक्स सं0-224 दिनांक 25.11.2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के भी0आई02314/285/2011भी0सी0 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा श्री लालू प्रसाद, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री,बिहार के जेडप्लस श्रेणी में डाऊनग्रेड करके जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है । यानी जेड-प्लस को डाऊन करके जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है । एन0एस0जी0 कॉभर को विदड्रा कर दिया गया है । गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उक्त पत्र पुलिस मुख्यालय में अभी तक अप्राप्त है । इस निर्णय में बिहार सरकार एवं पुलिस मुख्यालय, बिहार की कोई भूमिका नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हैज डन नथिंग । अब महोदय, बिहार राज्य की सुरक्षा समिति द्वारा श्री लालू प्रसाद, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है । जेड-प्लस सुरक्षा श्रेणी में कोई बदलाव नहीं की गई है । साथ ही उन्हें एस0ए0जी0 एक्ट 2010 के अन्तर्गत अनुमान्य विशेष सुरक्षा दी जा रही है । इसमें किसी भी प्रकार की कटौती राज्य सरकार ने नहीं की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के साथ 10,सरकुलर रोड,पटना स्थित सरकारी आवास में रहते हैं, जहां दोनों महानुभावों के साथ विशेष शाखा, जिला बल, बिहार सैन्य पुलिस के विभिन्न इकाईयों का कुल 84 पुलिस कर्मी पूर्व की भांति आज भी तैनात है । इसके अतिरिक्त श्री लालू प्रसाद को सड़क मार्ग द्वारा भ्रमण करने के दौरान बी0आर0कार स्कोर्ट पॉयलेट सहित कुल कारकेड उपलब्ध करायी गयी है, जो आज भी बदस्तूर जारी है । श्री जीतनराम मांझी, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के संबंध में समादेष्टा, 224,बी0एन0, सी0आर0पी0एफ0 द्वारा अपने फैक्स संवाद 224 दिनांक 25.11.2017 के द्वारा सूचित

किया गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-2314/285/2011/भी0सी0 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा श्री जीतनराम मांझी,माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की सुरक्षा में सी0आर0पी0एफ0 कॉर को विदड्रा कर लिया गया है । गृह मंत्रालय,भारत सरकार का उक्त पत्र पुलिस मुख्यालय में अभी तक अप्राप्त है। इस निर्णय में बिहार सरकार या पुलिस मुख्यालय, बिहार सरकार की कोई भूमिका नहीं है । बिहार राज्य की सुरक्षा समिति द्वारा श्री जीतनराम मांझी,माननीय पूर्व मुख्यमंत्री,बिहार को जेड-प्लस श्रेणी की सरुक्षा उपलब्ध करायी गयी है, साथ ही एस0ए0जी0एक्ट 2010 के अन्तर्गत अनुमान्य विशेष सुरक्षा दी जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री जीतनराम मांझी, 12एम0,स्टैंड रोड,पटना स्थित सरकारी आवास में रहते है । यहां विशेष शाखा, विशेष सुरक्षा दल, जिला बल एवं बिहार पुलिस की विभिन्न इकाईयों की कुल 45 पुलिस कर्मियों पूर्व की भांति आज भी तैनात है । इसके अतिरिक्त हनुमाननगर,पटना स्थित आवास पर 4 , गया स्थित आवास पर 5 एवं गया स्थित आवास पर 5 यानी कुल 59 पुलिसकर्मी, एक अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है । इसके अतिरिक्त श्री जीतनराम मांझी को सड़क मार्ग द्वारा भ्रमण के दौरान इसके अतिरिक्त है । श्री लालू प्रसाद को सड़क मार्ग के द्वारा भ्रमण के दौरान बी0आर0सी0कार स्कोर्ट पॉयलोट सहित कुल कारकेड उपलब्ध करायी गयी है, जो आज भी बदस्तूर है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आज भी भारत सरकार का जेड क्या कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और न इन्होंने मांगा है । इसीलिए यह कहना अनावश्यक है, यह तो भारत सरकार का निर्णय है और यह भारत सरकार का मामला है । लेकिन इसका मुख्य मकसद एक्ट में संशोधन का था कि जो 500 लोग हैं, विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री जाते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जाते हैं, उसमें विभिन्न तरह की कॉर्डिनेशन की जरूरत होती है । इसलिए सेक्रेटेरियट में एक सेल का गठन केवल किया गया है, जिसमें आई0जी0, डी0आई0जी0, समादेष्टा का पद है और यही इसका मकसद है। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूँगा कि सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विशेष सुरक्षा दल(संशोधन)विधेयक,2017 स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017

अध्यक्ष : अब बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017 को लेता हूँ । प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत श्री राजेन्द्र कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री कुमार सर्वजीत, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ का 'विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श' का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

टर्न-15/अंजनी/दि0 28.11.2017

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मेरे बदले हमारे दल के माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता जी बोलेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, आलोक कुमार मेहता जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

महोदय, बिहार राज्य कृषि बाजार प्रांगण - यह निश्चित रूप से पहले कृषि संबंधित कार्यों के लिए आम जनता से अधिग्रहण किया होगा । उसकी पूरी सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन पूरे बिहार में महत्वपूर्ण जमीन को जिसका अधिग्रहण किया गया, वह कृषि और कृषि के उपरांत उसके विपणन आदि के कार्य के लिए उसका अधिग्रहण किया गया । आज सरकार बिहार में कृषि रोड मैप और किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को विभिन्न माध्यमों से जनता के सामने रखने का काम करती है । यद्यपि पिछले दो कृषि रोड मैप बिहार में असफल साबित हुए लेकिन उसके बावजूद तीसरे कृषि रोड मैप के माध्यम से सरकार ने कृषकों के हित के लिए योजनायें बनायी है, उनके प्रति हमारी भी बहुत आशायें हैं, आम जनता आशान्वित है । लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो कृषि उत्पादन के बाद कृषि उत्पादक के विपणन, कृषि प्रसंस्करण या फूड पार्क जैसे जो संस्थायें बनेंगे, उसके लिए आप कहां जमीन देंगे ? कहां आपकी जमीन उपलब्ध है जबकि पिछले वर्षों में कृषि बाजार समिति को पूरे बिहार में भंग कर दिया गया । क्या कोई योजना थी उसके भंग करने के बाद, कृषकों के हित में उस जमीन का कुछ इस्तेमाल होना चाहिए था, ऐसा लगभग 7-8 वर्षों में कोई इस्तेमाल नहीं हो सका । कहीं जमीन का इनक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं पर जमीन को बिल्कुल अपने ढ़ंग से जहां जिसकी आवश्यकता है, स्वेच्छाचारी ढ़ंग से जमीन के ट्रांसफर का जो कार्य किया जा रहा है, उसके लिए कोई स्थापित सिद्धांत अभी तक सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है । फिर वह घड़ी आयी है कि जब हम सिख समाज के दसवें गुरू गुरू गोविन्द सिंह के प्रति पूरा-पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए हम कहना चाहते हैं कि पटना सिटी में इतने महत्वपूर्ण स्थान पर जो जमीन है, उसका सदुपयोग कृषि कार्यों के लिए, कृषि आधारित बड़े उद्योगों के लिए, कृषि आधारित प्रसंस्करण संस्थानों के लिए, कृषि विपणन संस्थान के लिए, मंडी के लिए, सब्जी उत्पादक महत्वाकांक्षी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो घोषणा की गयी है कि जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, उनके विपणन की व्यवस्था, प्रसंस्करण की व्यवस्था ऐसे संस्थानों में की जानी चाहिए और उसमें सिख समाज के 10वें गुरू गुरू गोविंद सिंह के नाम पर ही रख देना चाहिए । इसमें हमलोगों को बहुत खुशी होगी । जनता भी खुश होगी और सिख समाज के भी लोग खुश होंगे । अतः हम इस प्रस्ताव के साथ बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 में जो संशोधन है, इसपर पूरी तरह से विमर्श हो, इसके सिद्धांत पर पूरी तरह से विमर्श हो और इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाय ।

अध्यक्ष : यह तो मूल विधेयक है, यह संशोधन नहीं है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मूल विधेयक के संदर्भ में ही ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव लेते हैं । माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता, श्री ललित कुमार यादव, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री आलोक कुमार मेहता : जी हां । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

"कि बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 दिनांक 30 दिसंबर,2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो। "

श्री रामदेव राय : महोदय, मेरा अलग से प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : आपका आगे भी है ।

श्री रामदेव राय : आगे है वह खंडशः है । इसपर मुझे बोलना है ।

अध्यक्ष : 2 मिनट आप बोल लीजिए ।

श्री रामदेव राय : आप नहीं बोलने देना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हम तकनीकी बिन्दु जरूर उठायेंगे यहां । हमारे मुख्यमंत्री जी यहां हैं, इसलिए हमारा साहस बढ़ गया । वे जरूर सुनेंगे इसपर ।

अध्यक्ष : आपकी कुछ आदत–सी है कि आप बोलते भी हैं और दूसरों पर आरोप भी लगाते हैं कि बोलने नहीं देना चाहते हैं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, इस संशोधन विधेयक का कोई औचित्य नहीं है । कारण यह कि मैं भी बाबू गुरू गोविन्द सिंह जी को नमन करता हूँ, हमारे देश के वे पूज्य हैं । उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ और उद्यान बनाकर अपनी जवाबदेही को सिमट कर रखना औचित्यपूर्ण नहीं है । यह देशवासियों के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती है। एक तो किसी छोटी सी संस्था के लिए इतनी बड़ी अलग से विधेयक लाना अपने–आप में भ्रामक है । चूंकि कृषि बाजार प्रांगण की जमीन हम हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं । कारण यह है ।

अध्यक्ष : उसी का जवाब न विधेयक है । ये जो पढ़ेंगे, उसी का जवाब विधेयक है ।

श्री रामदेव राय : उसके लिए हम तैयार हैं, केवल समय दीजियेगा । बिहार एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट ऐक्ट, 2006 की धारा–4 की उप धारा 6 देखें । ''All immovable assets of the Board or the Committee shall be utilized only for agriculture and farmer relating activities including establishment of agro-processing industries, horticulture, agro-service, agricultural marketing, storage of agricultural produce."

महोदय, जो बाजार समिति है, वर्ष 2006 में वह निरस्त हो गया, निरसन हो गया । पावर डेलीगेट कर दिये कि बोर्ड इसका काम करेगा और बोर्ड जो फैसला लेगा, वह करेंगे । तो बोर्ड को आप अधिकृत कर दिये कि जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया । तो क्या आप इस बोर्ड की मान्यता को समाप्त करना चाहते हैं, एक बात और दूसरी बात यह कि

इतनी बड़ी जमीन, हम जानते हैं कि बाबू गुरू गोविन्द सिंह के नाम पर हम सारे लोग, मैंने पहले भी कहा, सब लोग नमन करते हैं । आप हमारे देश की कृषि व्यवस्था को आप देखें। कृषि रोड मैप की चर्चा उन्होंने की हैं, मैं दुहराना नहीं चाहता हूँ । मगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर कृषि से जुड़ा हुआ कोई रिजनेबुल आज प्रस्ताव यहां आता तो बहुत ही अच्छा होता । गुरू गोविन्द सिंह के नाम से, गुरू गोविन्द सिंह जन्म-जन्मांतर से हमारे बीच में वर्त्तमान हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी बड़ी संस्था यहां खोलें, जिसके लिए आप बताते हैं । आप देखेंगे कि आनन्द कितना बड़ा फेमस जगह बन गया हिन्दुस्तान में । आनन्द के पैटर्न पर आज हमारा बरौनी भी आगे बढ़ रहा है । हमारे यहां डेयरी विकास के नाम पर कोई संस्था नहीं है । वेटेनरी कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये सारी चीजें हैं, अगर यही डेयरी कॉलेज अगर आप बाबू गुरू गोविन्द सिंह के नाम से यहां खोल देते हैं तो बिहार की जहां तरक्की होगी, वहां बिहार का सूरत भी बढ़ेगा देश में कि यहां भी बिहारवासी गुरू गोविन्द सिंह को अपने बीच में नमन करने के लिए हमेशा कृतसंकल्पित हैं। यदि किसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के गौरव को तो बढ़ाये । मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ । मैं जानता हूँ कि ऐतिहासिक महापुरूषों के लिए उनके दिमाग में ख्याल है । पर इस ख्याल को बिहारवासियों के ख्याल से अगर जोड़ दिया जाय तो बिहार की अवश्य तरक्की होगी खासकर कृषि के क्षेत्र में । कृषि रोड मैप को कहीं आप रख दिये हैं, केवल उसका आप उद्घाटन करते हैं, समारोह करते हैं लेकिन उसपर अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ । अगर आप इसपर डिबेट रखेंगे तो मैं पूरा विस्तृत रिपोर्ट दस वर्षों का, 15 वर्षों का खाका आपको दूंगा कि आपका क्या प्रस्ताव था, कितना बजट था, उसमें कितना खर्च किये और किसान पर कितना खर्च किये लेकिन आज उसका औचित्य यहां नहीं है ।

इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बाजार प्रांगण की जमीन को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, औचित्य नहीं है, आप कानून के स्वयं पालक हैं, कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, मेरा यही निवेदन है और इस निवेदन को निश्चित रूप से सरकार स्वीकार करेगी, इसी विश्वास के साथ मैं बैठता हूँ ।

टर्न-16/शंभु/28.11.17

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संयुक्त प्रवर समति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अंदर दे।''

महोदय, संयोग से जिस वक्त यह निरसन किया गया था उस समय दो निरसन होने की संभावना थी - एक, मार्केटिंग बोर्ड का निरसन किया गया था दूसरा, पुल निर्माण निगम का हुआ था और निश्चित तौर पर उस समय हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि जो सोच बिहार का है- बिहार का पुल निर्माण निगम तीन-तीन स्टेट में काम करता है उसको न रोकें, हमलोग धरना पर बैठ गये और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको माने। आज हम चाहते हैं कि जिस मंशा से किया गया था और यह कहा गया था कि विगत पांच साल के अंदर पूरे प्रदेश में जो मार्केटिंग बोर्ड का एक प्रोपर्टी है उसको हम विश्वविख्यात लेवेल पर बनायेंगे।

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि इसपर सम्यक विचार की आवश्यकता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह भूमि आरक्षित की गयी थी। श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य अच्छा है परन्तु कहीं ऐसा नहीं हो कि यह परंपरा बन जाय और हरेक कृषि बाजार समिति के प्रांगण को या उसके स्थल को अन्य कार्यों के लिए आवंटित कर दिया जाय। महोदय, मैंने इसलिए यह प्रस्ताव दिया है कि अध्यादेश तो लागू है ही फिर क्या आवश्यकता है आनन-फानन में इस विधेयक को पारित कराने का। इसपर पूरा विचार हो और यदि संयुक्त प्रवर समिति का कोई सुझाव हो तो उन्हें सम्मिलित करते हुए इसे पारित किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अंदर दे।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ। खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-3 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : हुजूर, खंड-1 में भी है संशोधन, अब कहां से शुरू करें नीचे से उपर हो गया है और उपर का नीचे हो गया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने पुराने सदस्य हैं आपको मालूम है कि खंड-1 सबसे अंत में लिया जाता है।

श्री रामदेव राय : उसके बाद तो मेरा और है। मेरा प्रस्तावना पर भी संशोधन है, नामाकरण पर भी संशोधन है।

अध्यक्ष : हमको तो मालूम है कि आपके प्रस्ताव का अंत ही नहीं होगा। अभी खंड-3 वाला प्रस्ताव मूव करिये।

श्री रामदेव राय : आप उपयोग कीजिएगा तो हर जगह एक्सपर्ट ही मालूम होंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-3 के चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''जीवनी पर'' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द ''प्रकाश'' तथा शब्द ''पर्यटन'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''स्मृति'', ''कृषि प्रशिक्षण'' तथा ''कृषि'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

मेरा ये कहना है कि आप इसमें लिखे हैं कि बिहार सरकार बिहार कृषि उपज बाजार प्रांगण पटना सिटी की भूमि जो बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2006 द्वारा राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। जो अब अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित है श्री गुरू गोविन्द सिंह की जीवनी पर आधारित बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण के लिए पर्यटन को स्थायी रूप- मेरा कहना है कि इसको इस रूप में व्यवहृत किया जाय। श्री गुरू गोविन्द सिंह की स्मृति पर बहुद्देशीय कृषि प्रशिक्षण केन्द्र एवं

उद्यान के निर्माण के लिए कृषि विभाग को स्थायी रूप से अन्तरित कर सकेगी। मेरा यही संशोधन है इसमें।

अध्यक्ष : कृषि विभाग को तो अन्तरित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती न, क्योंकि कृषि विभाग की ही तो है ।

श्री रामदेव राय : मैं संशोधन तो क्यों दूंगा, संशोधन देने का औचित्य क्या होगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-3 के चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''जीवनी पर'' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द ''प्रकाश'' तथा शब्द ''पर्यटन'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''स्मृति'', ''कृषि प्रशिक्षण'' तथा ''कृषि'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : जी।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-3 के पांचवी पंक्ति के शब्द ''आधारित'' को विलोपित किया जाय।''

एक केवल वर्ड आधारित को हटाना है तो मैं ये कहा हूँ कि गुरू गोविन्द सिंह की स्मृति में तो में अगर जोड़ेंगे तो आधारित शब्द हट जायेगा- में वह बहुद्देशीय कृषि प्रशिक्षण केन्द्र कृषि विभाग को स्थायी रूप से अंतरित कर दे सकेगी। आधारित शब्द को विलोपित करने के लिए आपसे आग्रह किया हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-3 के पांचवी पंक्ति के शब्द ''आधारित'' को विलोपित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-4 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना।

खंड–1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड–1 के उप खंड–2 के प्रथम पंक्ति के शब्द ''उद्यान'' के बाद निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :–

''एवं ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों जो जि0प0 के अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा अधिसूचित हो।''

मैं ये दिया हूँ और इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए, सरकार के हित में ही होगा।

अध्यक्षा : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड–1 के उप खंड–2 के प्रथम पंक्ति के शब्द ''उद्यान'' के बाद निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :–

''एवं ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों जो जि0प0 के अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा अधिसूचित हो।''

यह संशोधन अस्वीकृत...

श्री रामदेव राय : हां के पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष : मैं इसे एक बार फिर से रखता हूँ।

टर्न–17/ अशोक/28.11.2017

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड–1 के उप खंड–2 के प्रथम प्रक्ति के शब्द "उद्यान" के बाद निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :–

" एवं ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों जो जि0प0 के अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा अधिसूचित हो ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

विधेयक की प्रस्तावना में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे?

श्री रामदेव राय : जी हां । मैं प्रस्ताव करता हूॅं :

''कि विधेयक के प्रस्तावना के द्वितीय खंड की प्रथम प्रक्ति के शब्द "प्रकाश" तथा द्वितीय पंक्ति के शब्द "पर्यटन" के स्थान पर क्रमश: शब्द समूह "कृषि विकास" एवं शब्द "कृषि" प्रतस्थापित किया जाय।''

मेरा यह संशोधन है । मैं इसलिए चाहता हूॅं, पहले भी मैंने कहा है कि कृषि से संबंधित संस्थान के लिए ही जमीन हस्तांतरण किया जाय तो यह औचित्यपूर्ण होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक के प्रस्तावना के द्वितीय खंड की प्रथम प्रक्ति के शब्द "प्रकाश" तथा द्वितीय पंक्ति के शब्द "पर्यटन" के स्थान पर क्रमश: शब्द समूह "कृषि विकास" एवं शब्द "कृषि" प्रतस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : विधेयक के नाम में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय :आसन और सरकार पर विश्वास करते हुये विपक्ष के सहयोग से मैं यह प्रस्ताव करता हूॅं :

''कि विधेयक का नाम निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की स्मृति में बहुउद्देशीय कृषि विकास केन्द्र एवं सार्वजनिक उद्यान हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी की भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु विधेयक ।"

मैं आशा करता हूॅं कि बिहार के गौरवमयी परम्परा, एतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार श्री गुरू गोविन्द सिंह के नाम पर ऐसी संस्था बना सकेंगे ताकि बिहार के लोग गौरवान्वित हो सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक का नाम निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की स्मृति में बहुउद्देशीय कृषि विकास केन्द्र एवं सार्वजनिक उद्यान हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी की भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु विधेयक ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह हमलोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम अपने पुरखों को याद ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने पुरखों के प्रति आदर भी हम दिखा रहे हैं और अपने पुरखों के बताये नीति और सिद्धान्त और पंथ के प्रति आस्था व्यक्त कर रहें हैं, आदर दिखा रहे हैं और यह स्वागत योग्य है कि श्री गुरू गोविन्द सिंह महाराज जिनका जन्मस्थली ही नहीं है बल्कि देश और दुनिया में एक महापुरूष और एक पंथ के संचालक के रूप में जाने जाते रहे हैं, उनके प्रति भी जो है सरकार, सदन और राज्य एक श्रद्धा सुमन इस मार्फत अर्पित कर रहा है । महोदय, मगर मैं कुछ बातों से रामदेव राय जी से सहमत हैं । अब चूंकि क्या है इस पर किसी का कोई विरोध ही नहीं हो सकता हैं कि श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान का निर्माण कराया जाय । कोई इस वजह से भी कि देश और दुनिया से उस पंथ में विश्वास करने वाले लोग पटना साहिब आते हैं और पटना का दर्शन करते हैं और एक अच्छा संदेश भी जायेगा कि इससे इसमें दो मत नहीं हैं, इसका विरोध हो ही नहीं सकता है । मगर महोदय, उनकी कुछ इन बातों से इसलिए सहमत हूँ कि जो बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 पहली बार यह बनाया जा रहा है, यह सदन के जो पुराने सदस्य हैं वे सम्भवत: अवगत हैं कि बिहार मर्केटिंग

बोर्ड जो एक तरह से सेन्ट्रल ऐक्ट के तहत था, अन्य राज्यों में वह कार्यरत हैं, हमारे राज्य में वह समझिए कि खत्म कर दिया गया हैं और यह कहा गया कि साहब यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा हैं उस भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाने की दृष्टि से हम इसको खत्म कर रहे हैं । अब मान लीजिए कि किसी कार्यालय में, किसी सचिवालय में, किसी विभाग में अगर कोई भ्रष्टाचार व्याप्त है तो हमारा दायित्व हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना न कि संस्था को ही खत्म कर देना । अब जो बिहार बाजार समिति थी, ठीक है हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं रहा होगा, भ्रष्टाचार था । हमारा दायित्व था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और उस बाजार समिति से जो किसानों को एक बाजार का एक स्थल मिला हुआ था वह रहता, मगर अभी क्या हुआ कितने दिन हो गये बाजार मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति खत्म हुये, मगर व्यवहारिक रूप से यह खत्म नहीं हुआ । वह किसानों के जगह पर अब व्यापारियों का अड्डा बना गया और एस.डी.एम. की अध्यक्षता में कमिटी है और उसमें जो दुकानें हैं तो एक तरह से व्यापारियों का गोदाम बन गया और वही औने पौन भाड़े पर व्यापारी उसको ले रहा हैं और चला रहा हैं , खैर मुझे शंका इस बात की है कि ये तो बहुत अच्छा काम हैं, जिस काम के लिए जमीन ली जा रही है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर यह जो विधेयक आया है, इससे हमने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा इसका खोला हम कि हम अब हमको जब भी किसी दूसरे काम के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं जमीन हम को दूसर जगह से एक्वायर्ड करने की आवश्यकता नहीं हो बस हम जो हैं इसी मार्केटिंग बाजार समिति का या मार्केटिंग बोर्ड का जो यार्ड है, जो एक तरह से एबन्डन्ड है, व्यापारियों के इस्तेमाल में है उसको हम ले लेंगे । मगर जिस स्थिति मार्केटिंग बोड आ गया आप ले रहें तो अच्छा ही कर रहे हैं जो स्थिति हैं इसमें व्यापरियों का दसों अंगुली जो हैं घी में है । मगर यह जो हमने एक दरवाजा खोल दिया, सरकार क्या है ? सरकार तो आती है, जाती है । सरकार आज हैं, कल नहीं रहेगी । कल जो सरकार आयेगी फिर वह इसी कानून का इस्तेमाल करके दूसरे कार्यो के लिए भी इसको लेगी तो कम से कम सरकार का यह जरूर आश्वासन चाहिए क्रमशः

टर्न-18/ज्योति/28-11-2017

क्रमशः

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : कम से कम सरकार का यह आश्वासन जरुर चाहिए कि श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के नाम पर जो हो रहा है इसमें कोई विरोध नहीं है मगर

भविष्य में इस बाजार समिति की जमीन का दुरुपयोग न हो और धड़ल्ले से इसको दूसरे काम के लिए लगाया नहीं जाय । इतना आश्वासन जरुर सरकार से चाहेंगे ।

डा0 प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक 2017 की स्वीकृति पर मैं बोल रहा हूँ । बिहार सृष्टि के आदि काल से ही अध्यात्म की भूमि रही है । जगत जननी माता सीता का जन्म बिहार की पावन भूमि पर हुआ था । स्वयं महादेव उगना बनकर विद्यापति के सेवक बने थे । सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई तथा बुद्ध बने । भगवान महावीर बिहार की इसी महान धरती पर पैदा हुए। बिहार की इसी महान धरती पर 17 वीं सदी के सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का जन्म तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना में हुआ था । गुरु तेग बहादुर एवं माता गुजरी के इस महान पुत्र ने 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता को खोया और देश की खातिर दो पुत्रों को युद्ध के मैदान में खाया तथा दो पुत्रों को शत्रु ने जिन्दा चुनवा दिया । इतिहास गवाह है कि बिहार के महान पुत्र सिर्फ एक वीर योद्धा कवि एवं दार्शनिक थे बल्कि धर्म के लिए उन्होंने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया । गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया । सिख धर्म में खालसा पंथ एवं पंच प्यारे की शुरुआत गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने किया । बिहार के इस महान पुत्र के जन्म के 350 वें जयंती के समारोह के अभूतपूर्व प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था । मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया के कोने कोने से सिख धर्मावलम्बी के लाखों लोग यहाँ पर आए थे और उस कार्यक्रम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी आए थे और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे देश के विशिष्ट लोग आए थे और काफी सफल रहा था और बिहार की काफी चर्चा पूरे दुनिया में हुई । बेहतर व्यवस्था जो आवश्यक व्यवस्था थी, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी, स्वच्छता का इंतजाम था, सुरक्षा की व्यवस्था थी । इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई और बिहार को इससे काफी ख्याति मिली । अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार को फिर से ख्याति मिली । श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज मानव समुदाय को पीढ़ियों तक सदा मार्गदर्शन करते रहेंगे । बिहार के अपने गौरवशाली इतिहास के बल पर इस वर्ष भी समापन वर्ष बना रहा है । सिखों के दसवें गरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के जीवनी पर आधारित बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटनासिटी की भूमि पर्यटन विभाग को अंतरित करना आवश्यक है । हम कहना चाहते हैं कि जिन बातों की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की है कृषि रोड मैप की चर्चा आपने की । माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की अगुवायी में बिहार में जब पहली एन.डी.ए. की सरकार बनी 2008 में कृषि रोड मैप पहला बिहार में आया था । 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप आया था । बिहार में महोदय, उत्पादन के मामले में बिहार के

जो अन्नदाता किसान भाई बहन है और बिहार के सहयोग से एक बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ था । हमारा उत्पादन बढ़ा । गेहूँ, चावल मक्का के मामले में बिहार को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था । आलू के मामले में हमने विश्व रेकर्ड कायम करने का काम किया था । महोदय, दो जो कृषि रोड मैप हमारा आया था । काफी सफलता हमें मिली । हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवायी में बेहतर काम हुए हैं और तीसरा कृषि रोड मैप जो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, के कर कमलों द्वारा उसका शुभरम्भ किया गया है । 1 लाख 54 हजार करोड़ की लागत से कैबिनेट ने स्वीकृति दी है । राज्य सरकार के 12 विभाग है । सरकार की चिन्ता है कि कृषि के क्षेत्र में हम पशुपाल मत्स्य को, गांव गांव बिजली पहुंचाने का, ग्रामीण सड़को की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है । 50 हजार करोड़ सड़कों पर खर्च किए जायेंगे । लघु सिंचाई और सिंचाई पर 50 हजार करोड़ का बजट है । 1 लाख 54 हजार करोड़ का बजट हमारा है । और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि तीसरा जो कृषि रोड मैप है इसमें हमने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि देश के कुछ राज्यों ने जैविक खेती के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है । बिहार में भी हम चाहते हैं जाने अनजाने महोदय, (व्यवधान) जब आप बोल रहे थे सुनिये तो कम से कम इतना हिम्मत तो रखिये । इनकी बातों को सुन रहा था । हम टोक नहीं रहे थे । हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है । इस बात की चर्चा कर रहे थे कृषि बाजार प्रांगण की बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर जैविक खेती के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम बिहार में जैविक कौरीडोर पटना से लेकर भागलपुर तक प्रथम चरण में 9 जिलों को शामिल किया गया है । बिहार में नेशनल हाईवे है । बिहार के सभी जिलों में हमने एक जैविक ग्राम बनाने का निर्णयश लिया है । तीसरा कृषि रोड मैप में वास्तव में आने वाले समय में किसानों के लिए इस बिहार में मिल का पत्थर साबित होगा । हम किसानों के लिए बीज के मामले में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं । बिहार में 15 लाख क्वींटल बीज की आवश्यकता है । हम 25 परसेंट उत्पादन कर पाते हैं । इस दिशा में कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है । साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि भंडारण के मामले में और साथ साथ बाजार के मामले में ।

अध्यक्ष : जरा प्वायंट औफ और्डर है सुन लीजिये ।

श्री अत्री मुनी यादव उर्फ शक्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ और्डर है कि माननीय कृषि मंत्री जी चित्रा नक्षत्र से तोड़ी का बीज उपलब्ध होता है । आपका विभाग जब महागठबंधन हटा और नया मंत्री आप जब बने तो आपने किसानों को तोड़ी का बीज उपलब्ध कराया ? नहीं कराया ।

अध्यक्ष : अभी गुरु गोविन्द सिंह जी की बात है ।

डा0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हम कहना चाहते हैं । बाजार की चिन्ता कर रहे हैं । हमारी सरकार ने कृषि रोड मैप में हमने किसानों के लिए बेहतर बाजार, बेहतर भंडारण की योजना शुरु हो गयी है । 2018 में महोदय, हमने तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा जो राज्य में कृषि बाजार प्रांगण है वह बदलता दिखेगा, उसका चेहरा बदल जायेगा । वह प्रांगण जो होगा जिसकी पहली शुरुआत हम दरभंगा से करने जा रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा पर जाने वाले हैं । हमने योजना बनायी है कि ज हॉ भी जायेंगे उस जिले का प्रांगण होगा उसका इनके हाथों से शुभारम्भ कराऊंगा ताकि आने वाले समय में राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहन व्यवसायी हैं आम लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे । महोदय, हम कहना चाहते हैं , अब सुनने का धैर्य नहीं है। 15 वर्षों में ..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अंत में आप अनुरोध कर दीजियेगा । हम तो अनुरोध करेंगे ही, चूँकि ये आलोक जी ..

(व्यवधान)

डा0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, 15 वर्षों तक इनको मौका मिला । बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक विश्वास किया । बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया आपने । आप कोई काम नहीं कर पाए । आपकी सरकार घोटाले की सरकार रही । 15 वर्षों तक बिहार में क्या हुआ, यह पूरा बिहार देख रहा है । हम कहना चाहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण पटनासिटी की भूमि को पर्यटन विभाग को अंतरित करना बहुत आवश्यक है । महोदय, श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण पटनासिटी की भूमि को पर्यटन विभाग को अंतरित करने हेतु प्रावधान करने हेतु यह विधेयक लाया गया है ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

महोदय, राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृति भव्यता को प्रख्यापित करने के लिए श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटनासिटी में 10.00.02 एकड़ (दस एकड़ दो डिसमल) भूमि पर्यटन विभाग को अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है । अतः सदन से हमारा आग्रह होगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृत करे ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, यह महत्वपूर्ण विधेयक है । आप कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है । मैं सदन से, दख्र्वास्त करुंगा अभी हम अपने बहुत ही वरिष्ठ बिहार के नेता राम देव राय जी का भाषण सुन रहे थे और इस विधेयक के हर अंश पर उन्होंने संशोधन रखा है। इसकी जो मूल भावना है उसको समझना चाहिए ।

क्रमशः

टर्न-19/28.11.2017/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः क्रमशः हमलोगों की मूल भावना क्या है ? आप जानते हैं दशमेश पिता सर्वंशदानी गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज का 350वॉ प्रकाशोत्सव इस साल जनवरी महीने में मनाया गया । उनका जन्म यहां हुआ था । हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की यह जन्मभूमि है । हम बिहार के गौरव की जब चर्चा करते हैं तो इस बात की भी चर्चा करते हैं । अगर हम चर्चा करते हैं भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, हम चर्चा करते हैं गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की भी, उनका जन्म स्थान है और हमलोगों ने इसे अपना कर्त्तव्य समझा कि हम सब पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें । वैसे महापुरूष का जन्म पटना सिटी इलाके में हुआ जो पटना साहिब के नाम से जाना जाता है तो हम इसका भव्य आयोजन करेंगे । जो भव्य आयोजन किया गया, उससे देश भर में और देश के बाहर भी जो सिख समाज के लोग हैं, वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में यह कोई कल्पना नहीं थी कि बिहार जैसे राज्य में इस तरह का आयोजन होगा । एक तो बिहार के बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैली रहती हैं और दूसरा लोगों के मन में यह भ्रम था कि बिहार में सिख समाज की आबादी तो बहुत कम है तो वहां की सरकार यह सब काम कहां से करेगी लेकिन जब उन्होंने देखा तो कोई पंजाब के एक व्यक्ति ने नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने क्या कहा, अब जो मुख्यमंत्री हैं उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टेन अमरेन्द्र सिंह जी ने क्या कहा, जितने लोग आए, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र के हों या धार्मिक क्षेत्र के हों या बौद्धिक जगत के हों, सब लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था प्रकाश पर्व के पूर्व, और उसमें जिस तरह से दुनिया भर के बौद्धिक शामिल हुए, जो उनका स्वागत सत्कार हुआ था उस सम्मेलन में भी, लोग अति प्रसन्न थे और जब प्रकाश पर्व बहुत ही बेहतरीन ढंग से आयोजित हुआ तो यह कहा जाने लगा कि शायद पंजाब में भी इस तरह का आयोजन हमलोग नहीं करते, जैसा बिहार में किया । और सिर्फ सरकार ने काम नहीं किया, सरकार के साथ-साथ सभी धर्म के लोगों ने इसमें अपना योगदान किया । जब बाहर के हमारे सिख समाज के श्रद्धालु आ रहे थे तो हिन्दू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के

लोग, सब लोग उनके स्वागत में तत्पर रहते थे पटना साहिब के इलाके में और जो उससे बिहार की छवि निखरी, वह जबर्दस्त छवि बनी और कहीं भी आप जाइए, अगर आपको सिख समाज के व्यक्ति से मुलाकात हो तो बिहार की वह प्रशंसा करेंगे और उसी सिलसिले में हमलोगों ने कई कार्यक्रम तय किए और उसी समय हमलोगों ने यह तय किया था कि हम गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की स्मृति में वहां उद्यान बनाएंगे, स्मृति भवन बनाएंगे ताकि उनके जीवन के बारे में भी सब लोग जानें तो इसके बारे में तय हुआ कि आखिर कहां बनना चाहिए, तो आप जानते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ा गुरूद्वारा है, आप सब जानते हैं, देशभर के पांच स्थलों में सिख समाज के द्वारा उसकी अहमियत दी जाती है और उसका महत्व है । उस गुरूद्वारा के अलावे बाल लीला है, उसके अलावे गुरू का बाग है और वह सभी जगह पर सिख समाज के लोग जाते हैं और यह स्थल जो बाजार समिति का प्रांगण है, वह गुरू के बाग के बगल में है । तो यह महसूस किया गया कि इससे कोई बेहतरीन जगह नहीं हो सकती है । ठीक गुरूबाग का जो कैम्पस है उसके ठीक बगल में बाजार समिति का प्रांगण है । यह उस समय जब प्रकाश पर्व की तैयारियां चल रही थीं, तब यह हुआ और आप देख रहे हैं कि प्रकाश पर्व की तैयारी के बारे में हमलोग कब से इस बात को लेकर सजग थे, आज से सात-आठ साल पहले हमलोग इस बात को लेकर सजग थे कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और हमलोगों ने पटना साहिब को जोड़ने के लिए जो आपको मालूम है रोड ओवरब्रीज का निर्माण कराया, आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पटना साहिब जाने वाले लोगों को सहूलियत हो रही है, प्रकाश पर्व का आयोजन होने वाला है, इसके लिए वर्षों पहले से हमलोग सजग थे तो यह सब काम किया और उसी सिलसिले में जब हमलोगों ने यह तय किया था उस समय कि बाजार समिति का प्रांगण इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है और वहां पर गुरू गोविन्द सिंह बहुद्देशीय प्रकाश ज्ञान केंद्र की स्थापना कर सकते हैं तो हमलोगों ने सोचा कि इस भूमि का अंतरण करना पड़ेगा जो इसके लिए हमलोगों ने 2006 में कानून बनाया है । रामदेव रायजी, हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सुनिये । रामदेव राय जी, विजय शंकर दूबे जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सुनिये, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपका भाषण अगर मालूम हो जाए कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी को, आदरणीय पंजाब के मुख्यमंत्री को, उनको भी खराब लगेगा कि कॉग्रेस पार्टी के व्यक्ति होकर के ....

(व्यवधान)

आप बैठिये न, आप बैठिये न । आप जरा जानिये । ऐसा है रामदेव बाबू, जब वह आयोजन कर रहे थे तब आप साथ ही थे । उस समय तो ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था, आपने कोई आइडिया नहीं दिया था और आज आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं । यह निर्णय, सुनिये न ! आप बुजुर्ग हैं, कभी-कभी दूसरे की बात

भी सुननी चाहिए । यह निर्णय आज का नहीं है । यह निर्णय जब प्रकाशपर्व का आयोजन किया गया 350वें, उस आयोजन के पूर्व का निर्णय है । और, यह तय हुआ कि वहां पर बनेगा और जब इसके बाद यह बात आई कि यह सबसे बेहतरीन जगह है, यह बाजार समिति का जो प्रांगण है और तब उस जमीन के हस्तांतरण के लिए उस पर जो उसके कानूनी पक्ष थे क्योंकि हम ही लोगों ने कानून बनाया 2006 में कि बाजार समिति के प्रांगण की कोई जमीन कृषि छोड़ कर कोई अन्य कार्य के लिए नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह विशेष अधिनियम आया है और अभी बोलकर के ये चले गए, यह जो कानून बना है, इस कानून का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ का आप दूसरा खंड देख लीजिए - इसका विस्तार श्री गुरू गोविन्द सिंह बहुद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान हेतु भूमि अंतरण तक ही सीमित रहेगा । यह जो कानून बना है, सिर्फ पटना साहिब के इलाके में जो बाजार समिति का प्रांगण है उसकी जमीन को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए मात्र यह कानून बना है । ऐसा नहीं है कि इसका सहारा लेकर बाजार समिति के प्रांगण की भूमि अन्यत्र किसी और काम के लिए किसी अन्य विभाग को या संस्था को हस्तान्तरित की जा सकती है । यह विशेष है । हमलोगों के लिए गौरव की बात है । 350वॉं प्रकाशपर्व भी इस साल जनवरी में हुआ और 351वॉं प्रकाशपर्व भी इसी साल दिसम्बर में होने वाला है । एक ही साल में, जनवरी में 350वॉ और दिसम्बर में 351वॉं । यह हमलोगों का दायित्व बनता है । इसलिए हमलोग पूरी तैयारी से 351वें प्रकाश पर्व के लिए भी उसी स्तर की तैयारी कर रहे हैं । टेंट सिटी का निर्माण से लेकर सब तरह की व्यवस्था की जा रही है और यह लगा कि अगर 351वें प्रकाश पर्व के पूर्व हमने जो पहले निर्णय लिया 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर, अगर उसका काम हम प्रारंभ कर देंगे तो बिहार की छवि और निखरेगी । इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया और ऑर्डिनेंस लाकर आगे की कार्रवाई की गई और जब ऑर्डिनेंस आया तो सदन का सत्र नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस आया और महामहिम राज्यपाल महोदय संतुष्ट थे कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, तब ऑर्डिनेंस आया और जब ऑर्डिनेंस लाकर काम शुरू कर दिया, तब सदन का सत्र आया तो उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके विधेयक तो लाना ही था तो यह विधेयक लाया गया । तो इसके पीछे की जो अवधारणा है, यह श्रद्धा की अवधारणा है और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का है । आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए, जब तक हम अपने इतिहास को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे और इतिहास के प्रति गौरव का भाव मन में नहीं रहेगा, आज के युग में तो तरह-तरह की बात होती रहती है ... क्रमशः

टर्न-20/कृष्ण/28.11.2017

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमशः) आज के युग में तो तरह-तरह की बात होती रहती है । आज के युग में न जाने कितने तरह की बात होती है । अनर्गल बात छायी हुई रहती है । उसको छोड़िये और आज के युग में जो हो रहा है, वह होते रहे । लेकिन हमें जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस पर ध्यान देना चाहिये । आपको मालूम है, अभी लखीसराय में कितना बड़ा ऑर्कियोलॉजिकल साईट अब निकलकर आया है ? वह नगर क्रिमिला नाम से जाना जाता था । 72 वर्ग किलोमीटर में वह एरिया फैला हुआ था । जिस तरह से गया है, जिस तरह से राजगीर है, उसी तरह से वह क्रिमिला नगरी थी । क्रिमिला नगरी क्रिमिल के नाम पर है । क्रिमिल कौन थे ? वह भगवान बुद्ध के शिष्य आनन्द के सहयोगी थे, साथी थे, शिष्य थे और वहां पर बौद्ध विहार था । सब ध्वस्त था । मुझे तो बड़ी खुशी है कि ऑर्कियोलॉजिकल में रूचि रखनेवाले हमारे कुछ विद्वानों ने, जो इतिहास में सारी बातें अंकित थी, इसको देखकर यह प्रस्ताव रखा और हमलोगों ने इसके बारे में निर्णय लिया, ए0एस0आई0 को भी लिखा और यह तय किया कि राज्य सरकार अपने स्तर से उसकी खुदाई करायेगी । क्रिमिल और गुप्तकाल में विश कहलाता था । ऐसी जगह आज लखीसराय है । भाई, यहां तो क्या-क्या है ? यह तो बगल में ही है, बिल्कुल पास में है । हमलोगों की रूचि रहती है इतिहास में । हमारा जो पुरातात्विक महत्व है, उसमें रूचि रहती है । इन सब चीजों में जब रूचि है तो 350वां प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया और अब 351वां प्रकाश पर्व चूंकि 1917 में जो सिख कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से वह जनवरी में था और इस बार दिसंबर में है । हमलोग वह आयोजन कर रहे हैं और उसके पूर्व चाहते हैं कि इस पर सारा कुछ हो जाय ताकि लाखों सिख श्रद्धालु आयें तो वे देखें कि बिहार में भाषणबाजी नहीं चलती है, बिहार में क्रियान्वयन चलता है । यह बिहार की छवि को सुधारेगी । तो प्लीज, हम तो चाहते थे कि यह एक ऐसा विषय है कि इसमें किसी भी तरह से कोई अन्यथा क्यों सोचेगा और अभी 351वां प्रकाश पर्व होनेवाला है । मैं तो सबसे आग्रह करूंगा । यह पूरे बिहार की छवि का प्रश्न है । जैसे 350वें प्रकाश पर्व में जो कुछ भी किया गया, उसी तरह से और उससे भी बेहतर 351वें प्रकाश पर्व में करना चाहिए और दुनियां के सिख श्रद्धालु उत्सुक है आने के लिये तो जो आयें, उनका सेवा-सत्कार करना चाहिए और सरकार अपने तरफ से जो संभव है, वह कर रही है । इसमें सब का सहयोग चाहिए । इसलिये इस विषय पर आप से आग्रह करूंगा ।

श्री विजय शंकर दूबे : नाम पर ...

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : फिर नाम आप बोल रहे हैं ? इतना के बाद भी आप को सेंस नहीं है कि नाम पर बोल रहे हैं आप ? गुरू गोविंद सिंह जी का नाम हटा दिया जाय ? आप

सुन लीजिये मा0स0 श्री विजय शंकर दूबे जी । आप को जो बोलना है और अगर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी को पता चला तो उनको भी बुरा लगेगा आपके इस भाषण का ।

(व्यवधान)

इनलोगों को जब अपने बिहार की छवि की भी चिन्ता नहीं है और गुरू गोाविंद सिंहजी महाराज के लिये काम किया जा रहा है और इस पर इनको आक्षेप है तो आप अपना नुकसान करवा रहे हैं ।

(इस अवसर पर मा0स0 श्री विजय शंकर दूबे एवं अन्य दो माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये ।)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही कहूंगा कि ये गलती न करें क्योंकि अगर ये गलती कर देंगे तो कल जो कुछ भी गुरू गोविंद सिंह जी के नाम पर भव्य निर्मित होगा, उद्यान और सब कुछ, वहां पर जाईयेगा तो आपको लाज लगेगी, लज्जा आयेगी कि इसके लिये जब कानून बन रहा था तो हम वाक-आउट कर रहे थे, सदन से बाहर जा रहे थे । मैं बधाई देता हूं, माननीय सदस्य महेश्वर जी यहां बैठे हुये हैं, दूसरे दलों के विपक्ष के साथी यहां बैठे हुये हैं । चूंकि इसकी भावना को समझ रहे हैं । जो इसकी मूल भावना है, इसके पीछे जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको समझ रहे हैं, इसके लिये तमाम लोगों को बधाई देता हूं । जैसा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को रखा है, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि पूरे उल्लास के साथ इस विधेयक को पारित करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक,2017 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 नवंबर,2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 23 (तेईस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 29.11.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।